बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १५ मई, १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

DELAY IN GIVING LOAN.

564. Shri RAM JANAM MAHTO: Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that last year it was decided in a meeting before the Commissioner of Bhagalpur Division that giving of loan to agriculturists be expedited and in no case time taken for the same should exceed a fortnight;

(2) whether it is a fact that agriculturists of villages Pathakdip, Barmia, Pothia and others of Sonahula P.-S., in Bhagalpur district applied for loans about two months ago but no order has yet been passed;

(3) if the answers to the above clauses be in the affiramtive, by whose fault the delay has been made and will Government be pleased to look into the matter so that the loan in question may be advanced without any further delay?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१) कमिश्नर साहब ने जो हिदायत तकावी लोन के

सम्बन्ध में दी है उसका पालन हो रहा है। उनकी हिदायत है कि दरखास्त मिलने के १५ दिन के अन्दर उसका फैसला हो जाना चाहिए। दरहकीकत इस तरह की दरखास्त एक सप्ताह या इससे कम में डिसपोज ऑफ हो जाती है। जहांतक इनडीभिजुअल लोगों का सम्बन्ध है जो इंस्ट्रकशन्स हैं वे स्टैचूटरी एग्रिकलचरिस्ट लोन एक्ट के ५(ए) में दिये हुए हैं और वे इस प्रकार हैं:

"इडिभिजूअल लोन २, ३, ४, ६ महीने के अन्दर डिसपोज ऑफ होना चाहिए। ये सबडिविजनल अफसर, कलक्टर या कोर्ट से डिसपोज ऑफ हो सकता है उसी क्रम के अनुसार।"

(२) फरवरी और मार्च १९५६ में १५ दरखास्तें दी गई थीं और ७ दरखास्तें अप्रील में दी गई थीं मगर बमियां, पोठिया गांव के लोगों ने सकिल अफसर के पास कोई दरखास्त नहीं दी थी।

(३) चूंकि दो महीने से ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ है इसलिये यह सवाल नहीं उठता है।

श्री राम जनम महतो—जिन लोगों ने दरखास्त दी थी उनलोगों को लोन देने की

व्यवस्था की गयी है या नहीं?

MESSAGE RECEIVED FROM LEGISLATIVE COUNCIL.

सचिव—विधान-परिषद् से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं:

(1) The Bihar Legislative Council at its meeting held on the 10th May, 1956, passed with amendments the Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Bill, 1955, which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 28th April, 1956.

(2) The Prisons (Bihar Amendment) Bill, 1956, which was introduced in the Council, was passed by the Council at its meeting held on the 10th May, 1956.

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम १०४(१) के अधीन मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव।

Motion of Non-confidence in the Council of Ministers under Rule 104(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Bihar Legislative Assembly.

अध्यक्ष—मैं प्रस्ताव को फिर पढ़ देता हूं चूंकि इसके संबंध में मुझे अपना निर्णय बतला देना है:

That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers for their failure—

(1) to bring in land reform measures for the equitable distribution of land in the State of Bihar;

इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि इसमें जो विवाद की सीमा है वह यह है कि कोई भी सदस्य लैंड रिफार्म मेजर के संबंध में यह नहीं कह सकेंगे कि वह मेजर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। या कोई संशोधन जो सरकार की ओर से उस लैंड रिफार्म मेजर पर आया है उसके संबंध में भी कोई सदस्य यह नहीं कह सकेंगे कि वह मेजर कैसा है और कैसा होना चाहिये। चूंकि यह विवाद उस विधेयक के संबंध में अभी सभा में लम्बित है।

(2) to take suitable action against the Departments and officers named and held responsible by the Commission of Enquiry by Shri S. K. Das in the disturbances and firing in Patna in the month of August, 1955.

इसके संबंध में यह सीमा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने जो फैसला दिया है, जो आबजरवेशन्स किया है या जो उसकी फाइन्डिंग्स है उसके संबंध में वह अच्छा है या बुरा है या किस तरह का है इसकी समालोचना आप नहीं कर सकते हैं।

(3) to take concrete steps towards the implementation of the Resolution passed by the House to prevent transfer of any parts of Bihar to West Bengal (as is evident from the statement made by the Home Minister in the Parliament and as a direct consequence of Dr. B. C. Roy's unilateral withdrawal of the point of proposal for merger or union of West Bengal and Bihar).

इसके संबंध में सीमा यह है कि लोग बिहार राज्य से बाहर जो कुछ भी काम हुआ हो उसके संबंध में आप समालोचना नहीं कर सकते हैं चाहे वह पश्चिमी बंगाल में हुआ हो या लोक सभा में। हमारे इस राज्य के मंत्रिमंडल की ओर से जो कुछ कारंवाई हुई हो या न हुई हो उसके संबंध में जो चाहें आप कह सकते हैं।

(4) to prevent delay, bungling and favouratism in the distribution of grants to political sufferers.

इसके संबंध में आपके पास जो प्रमाण हों उस प्रमाण के साथ विवाद कर सकते हैं।

अब श्री रामानन्द तिवारी अपना प्रस्ताव उपस्थित करें।

***Shri RAMANAND TIWARI** : Sir, I beg to move :

That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers for its failure :—

(1) to bring in land reform measures for the equitable distribution of land in the State of Bihar,

(2) to take suitable action against departments and officers named and held responsible by the Commission of Enquiry by Shri S. K. Das for the disturbances and firings in Patna in the month of August, 1955,

(3) to take any concrete steps towards implementation of the resolution adopted by this House to prevent transfer of any parts of Bihar to West Bengal as is evident from the statement made by the Home Minister in the Parliament and as a direct consequence of Dr. B. C. Roy's unilateral withdrawal of the point of proposal for merger or union of West Bengal and Bihar), and

(4) to prevent delay, bungling and favouratism in the distribution of grants to political sufferers.

अध्यक्ष महोदय, आज आप जानते हैं कि १९५५ के ११, १२, १३ अगस्त को जो दुखद् घटना घटी इस राज्य में, इस स्टेट में इसकी जानकारी इस स्टेट में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को है और बाहर के लोगों को भी है। इस दुखद् घटना के चलते कितने लोगों की हत्या हुई है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु हम जानते हैं कि जो कमीशन नियुक्त सरकार ने की वह जनता की मांग पर हुई थी। जनता ने इसके लिये एक स्वर से मांग की कि ११, १२ और १३ अगस्त को जो घटना घटी उसकी जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त की जाय जो यह निर्णय करे कि यह गोली क्यों चली। सरकार ने इस राज्य के सबसे बड़े न्यायाधीश को नियुक्त किया। आप यह भी जानते हैं कि इसके लिये स्टेट की तरफ से कई एक लाख रुपये खर्च किये गये और यह खर्च इसलिये किये गये हैं कि सरकार जानना चाहती थी कि इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। इसके लिये दूसरे सूबे से वकील मंगाया गया था। शायद सरकार यह समझी कि इस राज्य में इसके लिये कोई कानून का पंडित तथा विशेषज्ञ नहीं है जिससे उनके अफसरों की जान बच जायं। सरकार ने यह समझी कि यहां के वकीलों से उचित न्याय मिलना शायद संभव न होगा इसलिये ऐसा किया गया है। इसलिये सरकार ने अपने अफसरों को बचाने के लिये बाहर से साढ़े ग्यारह सौ रुपया प्रति दिन फीस देकर और उनके सभी खर्चों को स्वीकार करके बंगाल से वकील मंगवायी थी। जनता की गाढ़ी कमाई को उसने इस तरह बहाया है सिर्फ अपने अफसरों की रक्षा के लिये। इसके अलावे और दूसरे-दूसरे वकील भी थे जिनकी फीस मैं नहीं जानता हूं। इन वकीलों को फीस के अलावा और सभी व्यक्तिगत खर्च,

भी दिया जाता था। सरकार ने उनके मनोरंजन का भी सारा सामान इकट्ठा कर दिया था। जनता से पैसा लिया, गरीबों पर प्रहार हुआ, जनता पर गोली चली, जनता की हत्या हुई और सरकार ने अपने कलंक को छिपाने के लिये ऐसा किया।

अध्यक्ष महोदय, अब जनता को यह देखना है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। हमारा सरकार के ऊपर एक निश्चित आरोप है और वह यह है कि दास कमीशन की रिपोर्ट १७ फरवरी, १९५६ को प्रकाशित हुई और सरकार के यहां रिपोर्ट आ गयी। अब हमलोगों को यह देखना है कि सरकार के पास उनकी रिपोर्ट १७ फरवरी को आयी और आज हमलोग १५ मई को इस पर बातचीत कर रहे हैं और देखना है कि इस समय के बीच कौन-सी कार्रवाई सरकार की ओर से हुई है। ३० अगस्त, १९५५ को इसी पटने के गांधी मैदान में बोलते हुए हमारे प्रधान मंत्री से जब यहां के विद्यार्थियों ने मांग की तो कहा गया था कि इसकी जांच करने के लिये यहां के सबसे बड़े न्यायाधीश की नियुक्ति की गयी है और इस जांच के बाद जो भी आदमी दोषी साबित होंगे, चाहे वे बड़े से बड़े अफसर, विद्यार्थी या जनता का कोई आदमी क्यों न हों, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके सरकार उनको दंड देगी। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने इस देश की जनता के सामने और इस राज्य की जनता के सामने यह आश्वासन दिया था और अब यह देखना है कि इस सरकार ने इस आश्वासन को कहां तक कार्यान्वित किया है। इस संबंध में मैं सबसे पहले आपको यह बतला देना चाहता हूं कि इस सदन में इस पर सवाल पूछा गया और सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि दोषी अफसरों से जवाब तलब किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो लोग निर्दोष हैं उनको आप सजा दीजिये। जो लोग इस कांड में शामिल थे और जिन पर अभियोग है उनकी बचाव के लिये आप हर तरह की सुविधा दें और उनको अपनी बचाव करने के लिये पूरा अधिकार है। सरकार की ओर से इसके लिये उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिये। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि दास कमीशन ने जिनको दोषी साबित किया उनके खिलाफ आपने कौन-सी कार्रवाई की है। सदन में आपने सिर्फ यही जवाब दिया कि उन अफसरों से जवाब तलब किया गया है। मैं भी कुछ दिनों के लिये सरकारी नौकरी में था और अध्यक्ष महोदय आप भी कानून के पंडित हैं और इसलिये आप जानते हैं कि जब किसी सरकारी मुलाजिम पर दोष आरोप किया जाता है और जब सरकार को उस पर संदेह होता है तो सरकार क्या करती है। उससे उसके लिये जवाब पूछा जाता है और जवाब देने के लिये समय निश्चित कर दिया जाता है, एक हफ्ता, दो हफ्ता या एक महीना, और आप चाहे तो अपनी जानकारी के लिये सरकारी विभागों से इस तरह की प्रोसिडिंग को मंगा कर देख सकते हैं, उनके रेकर्ड को मंगवा कर देख सकते हैं कि जवाब देने के लिये समय निश्चित कर दिया जाता है कि तुम इतने दिनों के अन्दर इसका जवाब दो लेकिन इस संबंध में जो जवाब तलब किया गया है उसमें कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि जवाब देने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—कहां मैंने ऐसा कहा था?

श्री रामानन्द तिवारी—इसी सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए आपने ऐसा

कहा था। आप नहीं चाहते हैं कि आपके अफसर एक निश्चित अवधि के अन्दर जवाब दें।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि यह एक विशेष प्रकार की इक्वायरी थी, अगर कोई ट्रायल होता तो कोर्ट उनको दंड देता, अगर कसूर साबित होता तो सजा मिलती और कसूर नहीं साबित होने पर कोर्ट उनको छोड़ने का हुक्म देता। लेकिन यह एक जुडिशियल इंक्वायरी थी और इसको सजा देने का अधिकार नहीं था। इसका काम यही था कि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को दे और उसको मानना या न मानना सरकार के ऊपर है। अब आप देखिये कि जब एक साधारण सी बात होती है तो उसके लिये हमारी सरकार अपने नौकरों को मुअत्तल कर देती है। मुअत्तल कर देने से वे अपराधी नहीं समझे जाते हैं। जब उनके मामले पर विचार होने लगता है तब सरकार अपने नौकरों को ससपेन्ड कर देती है और जब उनके मामले पर विचार होकर एक फाइन्डिंग आती है तो उसके मुताबिक उनको सजा मिलती है। अगर वे निरपराध होते हैं तो सरकार उनको छोड़ देती है। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि यहां पर किसी अफसर को अभी तक ससपेन्ड क्यों नहीं किया गया है। जब भी उनका मामला सरकार के यहां जाता है तो सरकार उनको ससपेन्ड कर देती है। मैं इसका कुछ मिसाल आपके सामने रख देना चाहता हूं। एक चपरासी को देरी से आने के लिये, एक किरानी को देरी से आने के लिये इसी सेक्रेटेरियट में उनको ससपेन्ड तक कर दिया जाता है। १९५५ में पुलिस विभाग में दो सिपाहियों को परेड से छूटते ही खैनी खाने के अपराध में उनके अफसर ने उनको ससपेन्ड कर दिया। मैं सरकार से पूछता हूं कि किसी सरकारी नौकर को तो खैनी खाने के लिये ससपेन्ड कर दिया जाता है लेकिन खूनी होने पर यह सरकार उनको ससपेन्ड क्यों नहीं करती है? जिन लोगों ने खून की, लोगों की हत्या की, अंधाधुन गोली चलायी, जहां चलाना चाहिये था वहां न चला कर दूसरी जगह गोली चलायी, जो गोली चलायी वह नियंत्रित नहीं थी और इसके चलते इतना बड़ा खून हुआ तो क्या सरकार इसको एक साधारण बात समझती है, और उनलोगों से इसके लिये जवाब भी तलब करती है तो उसमें अवधि निश्चित नहीं करती है, यह क्या बात है? इन अफसरों के बचाव के लिये इस सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे आपका मकसद क्या था? अभी अगर कोई आदमी खून करता है तो सरकार उसके खिलाफ ३०२ का मुकदमा चलाती है और उसको पकड़ कर जेल में ठूस देती है लेकिन जब सरकार के आदमी खून करते हैं तो सरकार ने क्या किया? दिहातों में जब दो आदमी किसी जमीन को लेकर इसी तरह से किसी दूसरे मामले को लेकर आपस में लड़ते हैं, अपने गरासे और फरसे से, स्टेट के रायफल और वन्दूक न लेकर बल्कि अपनी व्यक्तिगत चीज के लिये अपने व्यक्तिगत हथियार से जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो यह सरकार उनपर ३०२ का मुकदमा चलाती है और उनको जेल में ठूस देती है और मोचालका या जमानत भी नहीं होने देती है लेकिन इस सरकार के नौकर इसी तरह के अपराध करके आज अपने यूनिफौर्म को पहन कर शहर के चारो ओर घूमते-फिरते हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या यही जनता के साथ न्याय हो रहा है और इस सरकार के ऊपर हमारा यह चार्ज है कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मुझे यह कहना है कि राज्य-ट्रांसपोर्ट विभाग १९५३ में कायम हुआ और राज्य-ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से यह कम्युनिक निकला कि बी० एन० कॉलेज में जाने के लिये विद्यार्थियों से ११॥ रु० और १४ रु० प्रति माह लिया जायगा।

उसके बाद राज्य-ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से एक कम्युनिक निकला। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वाइस चान्सलर ने एक चिट्ठी लिखी और जो कुछ कहा, मैं

उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। वाइस चान्सलर का कहना था कि महीने में २३, २४ या २५ दिन कॉलेज खुला रहता है और बकीये दिन बन्द रहता है इसलिये ५० प्रतिशत टिकट के हिसाब से १२ दिन का टिकट देकर विद्यार्थियों के लिए कंसेसन कर दिया जाय। लेकिन सरकार का कहना था कि १६ दिन के टिकट के हिसाब से कंसेसन दिया जायगा। फिर सरकार के पास चिट्ठी गयी और अन्तिम चिट्ठी १४ मार्च, १९५५ को गयी। इस पर राज्य-ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पूछा कि आपका इस विषय में क्या विचार है और आप विद्यार्थियों के कंसेसन टिकट के बारे में निश्चित योजना रखें। वाइस चान्सलर ने निश्चित योजना भी रखी कि आपको अधिक से अधिक १६ दिन से ज्यादे समय का कंसेसन टिकट नहीं रखना चाहिए और इसकी सूचना भी दे दी गयी। उसके बाद से राज्य-ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां से कोई चिट्ठी नहीं गयी इसलिये उनलोगों को मालूम पड़ा कि सारी समस्यायें समाधान हो गयीं। अध्यक्ष महोदय, दास कमीशन की रिपोर्ट के पेज २८ और २९ में जो चीज है उसका कुछ अंश में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह यह है:

"The Transport Commissioner said that he did not know why there was delay in the ministry in giving a final decision on the proposal of the Vice-Chancellor. The Transport Commissioner also admitted (vide page 204 of the deposition) that as correspondence between the Transport Minister and the Vice-Chancellor was going on he did not want to take any drastic action against the students who were travelling on payment of half the usual fare."

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि वाइस चान्सलर की चिट्ठी १४ मार्च को आती है और घटना ११ अगस्त को घटती है, तो आपने इस बीच में इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या किया। आपने समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सरकारी वकील ने भी इस बात को माना है कि १९५३ से ही विद्यार्थियों और राज्य-ट्रांसपोर्ट के बीच झगड़ा चला आता था कंसेसन टिकट के लिए। १४ मार्च को अन्तिम चिट्ठी जाती है, लेकिन सरकार उसका जवाब कुछ भी नहीं देती है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार जिसके ऊपर इतना बड़ा उत्तरदायित्व है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जिस पर ४ करोड़ लोगों के जान-माल के खतरे से सुरक्षा करने का भार है, उसने इस समस्या को सुझालने के लिए क्या किया जबकि वाइस चान्सलर ने निश्चित योजना भी सरकार के सामने रख दिया तौभी कुछ नहीं किया गया जिसके चलते इतना बड़ा कांड हो गया और यहां तक कि उनके चिट्ठी का उत्तर भी नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, दास कमीशन की रिपोर्ट में है:

"It is against this back ground of uncertainty and consequent unsatisfactory state of affairs that the trouble between the students and the Raj Transport employees took place on the 11th of August, 1955 in bus No. B.R.A. 1557. This uncertainty........"

अध्यक्ष—आप क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री रामानन्द तिवारी—इसके बारे में जो कुछ दास कमीशन की फाइन्डिंग

है कि ११, १२ और १३ अगस्त को क्यों घटना घटी......।

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, I rise on a point of order. The question which has been raised just now was decided when there was a no confidence motion against the Ministry last time. I think that it is out of order and no further discussion should be allowed when the House has already given its decision on this point.

SPEAKER :

पेज २६ में दास कमीशन की रिपोर्ट में है:

"It is against this back ground of uncertainty and the consequent unsatisfactory state of affairs that the trouble between the students and the Raj Transport employees took place on the 11th of August, 1955, in bus no. B.R.A. 1557. This uncertainty and the consequent unsatisfactory position furnished the pre-disposing factors for the trouble that took place on the 11th of August, 1955."

Shri RAM CHARITRA SINHA : These points which were raised last time and decisions were given by this House when there was a motion of want of confidence against the Ministry I think the same points should not be allowed to be discussed here again.

अध्यक्ष—जिस चीज पर विवाद आप कर चुके हैं, उस पर आप विवाद नहीं कर सकते हैं। जो फैसला दास कमीशन का है और उसने अपने फैसले में कहां-कहां सरकार की त्रुटियां बतलाई हैं उस चीज को आप नहीं कह सकते हैं और न समालोचना ही कर सकते हैं। मगर उस फैसले के बाद भी सरकार ने जो भूल की है उसके बारे में आप कह सकते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—यही तो मैं कह रहा था। तो मैं यह पढ़ रहा था कि:

"It was open to the Rajya Transport employees to insist on the full fare unless the students purchased monthly tickets in the manner required by the press note of 1953. It is against this background of uncertainty and a consequent unsatisfactory state of affairs that the trouble between the students and the Rajya Transport employees took place on the 11th of August, 1955...."

अध्यक्ष—आप तो इसको पढ़ ही चुके हैं, इसलिए फिर से पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

श्री रामानन्द तिवारी—अच्छा, मैं इसे छोड़ देता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार सतर्क रहती, उचित समय पर कदम बढ़ाती और वाइस चान्सलर से मिलकर कंसेसन के टिकट के बारे में निर्णय कर लेती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। अगर सरकार सचेष्ट होती तो ११ की घटना नहीं घटती। अगर ११ की घटना नहीं घटती तो १२ की और १३ की भी घटना नहीं घटती। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार अपना कर्त्तव्य पूरा करने में फेलियोर हुयी। अगर सरकार अपने कर्त्तव्य को पूरा करती तो यह घटना नहीं घटती। सरकार का जो कर्त्तव्य था उसका निर्वाह नहीं हुआ जिसके चलते इतने लोगों की जान गयी, इतने लोगों की हत्या हुई।

इसलिये सरकार को इस स्टेट पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। यह सरकार पर मेरा पहला चार्ज है।

श्री रामचरित्र सिंह—यह चार्ज तो उस वक्त लाया गया था। फाइन्डिंग के बाद जो निर्णय मिला है उस पर आपको बोलना है।

श्री रामानन्द तिवारी—सदन से मुझे यह कहना है कि सदन इस पर विचार करे। कमीशन क्या लिखता है? जिस कमीशन पर जनता ने पूरा विश्वास किया, आपने भी विश्वास की और विश्वास करके ही उस कमीशन को नियुक्त किया और उसे इंक्वायरी सुपुर्द कर दिया। फाइन्डिग में देखें कि कहां-कहां निर्दोष लोग मारे गये हैं, किस घटना के चलते ये सारी घटनाएं घटीं। आप देखें कि राज्य-ट्रांसपोर्ट के दो कर्मचारी हैं, एक मिस्टर सलाहुद्दीन और दूसरे मिस्टर कटोरिया। ये लोग सरकार के उन पदों पर हैं जिन पर बहुत भारी जिम्मेवारी है। वे ड्राइवर नहीं हैं, खलासी नहीं हैं, क्लर्क नहीं हैं। इस पद पर रह कर उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया या नहीं, इसके लिए आज सरकार उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है। अगर ये दोनों सचेत होते, सतर्क रहते तो संभव है कि जो घटना घटी वह नहीं घटती।

"Mr. Salauddin has a very queer idea of his duty; he knew that two boys were detained in a bus in the depot and that they were being guarded by some Rajya Transport employees; if he had gone up to the two boys he would have seen that they had been assaulted........"

अध्यक्ष—वह निर्णय क्या है, कैसा है इसके ऊपर आप समय क्यों लगाते हैं? वह निर्णय तो निर्विवाद है। उसकी समालोचना न तो सरकार करती है और न आपको करना है। जो फैसला है उसके अनुसार जो दोषी हैं उस संबंध में सरकार को क्या करना है इसी पर आपको बोलना है।

श्री रामानन्द तिवारी—सरकार ने उन अफसरों के बारे में क्या किया। मैं फाइंडिग के एक वाक्य को पढ़ता हूं:

"I have no doubt in my mind that the attitude of these officers, particularly of Mr. Salauddin, was one of the circumstances which led to the subsequent disturbances on the 11th."

अब आप देखें कि इतना बड़ा दोष होता है, अपराध होती है लेकिन अपराधी होते हुए भी वे सभी अभी तक सर्विस में हैं। जिसके ऊपर कमीशन का ऐसा विचार है, ऐसा विश्वास है, जिसके बारे में कमीशन ऐसा कह रही है उसको आपने फ्री छोड़ दिया है। आप कह देते हैं कि जवाब पूछा गया है लेकिन फरवरी से आज तीन महीने हो रहे हैं लेकिन आपने उनके ऊपर कोई भी उचित कारंवाई नहीं की है। यदि आप उचित कारंवाई किए होते तो संभव है कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटती। अब देखा जाय कि कमीशन क्या कह रही है।

"The evidence of Mr. Chandrashekhar clutches the issue. Mr. Chandrashekhar is a member of the Indian Police he is an educated man, and must have known what he was saying. He admitted

in unambiguous terms that when he came to the depot he came to know that two students had been assaulted."

श्री चन्द्रशेखर तो आई०पी०एस० के सदस्य हैं, जो शिक्षित हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने कर्त्तव्य को कहां तक निभाया, कमीशन ने उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी ठहरायी है, यह सब जानते हुए भी इन्होंने इन बातों को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने सही फैक्ट्स को नहीं कहा। अगर ये अपने सुपीरियर औफिसर को उचित समय पर कहे होते तो जो घटना घटी वह नहीं घटती।

अध्यक्ष—इसमें चन्द्र शेखर को तो दोषी नहीं बताया गया है।

श्री रामानन्द तिवारी—बताया गया है अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं।

अध्यक्ष—उनके ऊपर तो झूठ बोलने का दोष ठहराया गया है। लेकिन यह तो अलग बात है।

श्री रामानन्द तिवारी—उन्होंने छिपाया कि दो लड़के बस में हैं। इस बात की उनको जानकारी थी। उन्हें ही नहीं बल्कि ए०एस०आई० और एस०आई० को भी इस बात की जानकारी थी। डी०एम० आते हैं और बी०एन० कॉलेज के प्रिंसिपल श्री विद्यार्थी से वे बात करते हैं लेकिन ये अफसर उनसे नहीं कहते हैं। आप अध्यक्ष महोदय, विचार करें कि अगर डी०एम० को इसकी जानकारी होती कि दो विद्यार्थी बस में हैं तो उचित कार्रवाई करते। फाइंडिग में लिखा हुआ है कि सलाहुद्दीन ने बातों को छिपाया। उन्होंने कहा कि नहीं जानते हैं। विद्यार्थी को विश्वास हो गया कि ऐसे अफसरों से न्याय मिलनेवाला नहीं है। विद्यार्थी इनके चरित्र से, इनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से निराश हो गए। वे समझ गए कि उनके स्टुडेन्ट्स को अमानुषिकता से, निर्ममता से पीटा जाता है, बस में रखा जाता है। हमलोग सदन में इतने आदमी हैं। अगर इनमें से किसी एक आदमी के साथ बाहर में कोई दुर्व्यवहार करे तो अध्यक्ष महोदय, आप तो साधू हैं, सन्त हैं पर मैं समझता हूं कि आप भी इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे।

अध्यक्ष—फैक्ट्स के बारे में नहीं कहना है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—सिर्फ फैक्ट्स के बारे में ही नहीं जो प्वायंट्स उन्होंने कंफिडेंस में मेन्शन किया है उसी तक कंफाइन (सीमित) करना चाहिए। यह कहना कि किस वजह से फायरिंग हुई वह डिसकसन में नहीं है। दास कमीशन की जो फाइंडिंग हुई उसके अनुसार सरकार ने कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कहना है।

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, I want to know an information from the Chair. When a motion of censure is brought against the Government is it not the legal position that the Leader of the Opposition should move the same. This motion has been brought by an individual member and I, therefore, want to know from the opposition party whether this motion is on behalf of the opposition party or is a motion of an individual member.

SPEAKER : It has been supported..............

Shri RAM CHARITRA SINHA : Does not matter. I want to know whether this motion is a motion of the opposition party or of an individual member. The Leader of the Opposition should say that it is the motion of the opposition party.

Shri MAHAMAYA PRASAD SINHA : Even an individual member can move such motions. Why this question is being raised ?

Shri RAM CHARITRA SINHA : I am not against this motion but I want to know whether this motion is a motion of the opposition party.

SPEAKER : Time is very valuable for both the parties and, therefore, care should be taken for using the time in the best possible way. The opposition cannot be forced to answer a question.

Shri DHANRAJ SHARMA : Sir, I rise on a point of order. When there is a motion of no confidence it is usually moved by the Leader of the Opposition. The question is certainly very important to ask whether it is a motion of an individual member. If it is so the Leader of the Opposition has failed to discharge his own duties. It is for the Leader of the Opposition to stand up and say.

अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जानी चाहिये थीं। यह ठीक है कि उन्होंने श्री राम चरित्र सिंह की बातों का समर्थन किया है लेकिन मैं समझता हूं कि श्री राम चरित्र सिंह या कोई भी सदस्य विरोधी दल के किसी सदस्य को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वे क्या करें। समय आने पर इसकी सूचना मिल सकती है कि यह प्रस्ताव सारे विरोधी दल की ओर से है या नहीं।

श्री रामानन्द तिवारी—जो अफसर कसूरबार थे उन पर आजतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी है। कमीशन की रिपोर्ट के ४० पन्ने में लिखा है :

"If these four officers had met the students and released them then and there, the rescuing or raiding party of students could not possibly have any grievance and the forces of exasperated feelings and grievance which were let loose would not have come into play at all."

चार अफसर जिनमें दो पुलिस के अफसर हैं और दो राज्य ट्रांसपोर्ट के हैं अगर ठीक से काम करते तो स्थिति खराब नहीं होती। इन लोगों को कमीशन ने दोषी प्रमाणित किया है लेकिन सरकार ने इनके ऊपर कौन-सी कार्रवाई की है? जिन अफसरों के चलते कितने लोगों की हत्या हो जाय, सारे बिहार में तहलका मच जाय और फाइंडिंग होने के बाद उन पर कोई कार्रवाई न हो, यह कैसी बात है? कुछ पहले यहां प्रधान मंत्री आये हुए थे। उनसे विद्यार्थियों का एक डेपुटेशन मिला लेकिन हमारी सरकार ने ३० अगस्त, १९५५ को गांधी मैदान में जो वादा किया था उसका पालन नहीं किया। मेरी जानकारी है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि विद्यार्थियों ने यहां के मुख्य मंत्री से मिलने की कोशिश की।

अध्यक्ष—फाइरिंग होने के बाद ?

श्री रामानन्द तिवारी—जी हां। हमारे प्रधान मंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि सूबे की सरकार जिनके मातहत ये अफसर हैं, उनसे मिलकर कहिये। इस पर विद्यार्थियों ने कहा कि आपसे मिलने में उतनी कठिनाई नहीं है जितनी कठिनाई हमलोगों को अपने सूबे के मुख्य मंत्री से मिलने में होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसका यह कर्त्तव्य नहीं था कि विद्यार्थियों से मिलकर यह कहती कि आपलोग शांत रहें, फाइरिंग हो गयी है, उस पर उचित कारंवाई की जायगी। ठीक समय पर यदि सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन करती तो यह घटना नहीं होती और दुःख तो यह कि फाइरिंग होने के बाद सरकार विद्यार्थियों से मिलती तक नहीं है। हम तो यह नहीं चाहते हैं कि उन अफसरों को फांसी दी जाय, जेल भेज दिया जाय लेकिन हमारा कहना है कि उनको सरकार ने अबतक प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया है ? क्या सरकार धारा ३०२ के केस में अपराधियों को छोड़ देती है ? बेल भी नहीं दिया जाता है। लेकिन जिन अफसरों को कमीशन ने दोषी ठहराया उन पर आजतक कोई कारंवाई नहीं की गई है। क्या सरकार इसी तरह का तहलका फिर बिहार में मचाना चाहती है। सरकार पर जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह नहीं हो सका है और उसका यह परिणाम है कि जनता उसका फल भोगती है। ऐसी सरकार को एक वर्ष कौन कहे एक महीना नहीं, एक दिन नहीं, एक मिनट भी नहीं टिकना चाहिये और यदि ऐसी सरकार शासन करती है तो यह निरर्थक है, जनता के लिये यह सरकार भार है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सरकार को अविलम्ब हट जाना चाहिये, आज शाम को नहीं, अभी इसी क्षण हट जाना चाहिये। कमीशन ने ८८ पेज के दूसरे पारा में कहा है :

"The answer to question no. 5, referred to above, gives the whole evidence of the State Officials away, and shows that the evidence which was given before me was the result of a careful preparation and discussion; an attempt was made to reconstruct the firing not in the manner in which it was actually done but in a manner which would make it water-tight."

अध्यक्ष महोदय, आप जरा ख्याल कीजिये कि क्या कमीशन कहती है। सारी चीजों को, सारी बातों को आपने छिपाया है। फायरिंग होती है और वह व्यक्ति, कमीशन का प्रधान जिस पर सारी जनता को विश्वास है वे कहते हैं, उनकी इस तरह की फाइंडिंग्स होती है, यह हमारा आपका या किसी दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, आपने उनको डिप्यूट किया और वे इतना बड़ा इल्जाम लाते हैं आप पर, स्टेट पर कि लोगों का खून हो और इस तरह से केस को उलट-पुलट कर दिया जाये, क्या यही नैतिकता है? क्या यही नैतिकता का तकाजा है ? सरकारी मुलाजिमों ने इतने बड़े अनैतिकता का काम किया और सरकार अब भी चुप है। यही हमारा सरकार पर चार्ज है। कमीशन के एक मात्र सदस्य श्री एस० के दास ने रिपोर्ट दी, वे सुप्रीम कोर्ट में गये और उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनैतिक कार्य किया गया। आप चाहें तो मर्डर करने वाले को छोड़ दें। आप जानते हैं कि एक आदमी के मर्डर करने पर दो-तीन आदमियों को फांसी की सजा होती है। थोड़ी सी गलती के चलते ये सारी चीजें हुई। अध्यक्ष महोदय, श्री पी० के० जैन जो इंडियन पुलिस सर्विस के एक माननीय सदस्य हैं, नौजवान हैं, उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है उनको आपने डिप्यूट किया। मैं

आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पुलिस को बस डिपो की रक्षा के लिये तैनात किया है, सारी चीजें हैं, अशोक पथ खाली है, पेट्रोलिंग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आदेश दिया था कि पेट्रोलिंग की जाये। आप इसमें फेल कर गये हैं, पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिये थी। बस डीपो में खतरा था, संभव है जनता आती बरबाद करने के लिये, उसकी रक्षा के लिये सैकड़ों पुलिस के सिपाही, हवलदार, आई०-जी० पुलिस, डी० आई०-जी०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद भी अशोक राज पथ पर, बी० एन० कालेज में किस तरह की घटना घट रही है, आप से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पेट्रोलिंग के लिये आपने भेजा। अगर आप वहां, पेट्रोलिंग के लिये नहीं भेजते तो फिर वहां पत्थर नहीं चलते, ईंट नहीं चलतीं ये सारी घटना आपकी गैरजिम्मेवारी के कारण हुई। श्री पी० के० जैन के रहते इतना बड़ा कांड होता है, क्या दूसरे जिम्मेवार, अनुभवी पुलिस के अफसर नहीं थे, यदि आप २० वर्ष के अनुभवी सबइंसपेक्टर को वहां भेजते तो भी परिस्थिति सम्भल सकती थी। आई०-जी० थे वे वहां नहीं गये, सारी चीजें हुई और श्री पी० के० जैन कहते हैं कि सेक्शन १०६ के आधार पर.........

अध्यक्ष—श्री पी० के० जैन की फाइन्डिंग्स पेज ७३ में है। आप फाइन्डिंग्स पर कहिये।

श्री रामानन्द तिवारी—उन्होंने यह भी कहा है जो पेज ७२ से शुरू होता है कि

"If, however, innocent persons are standing on a verandah and the riotous crowd from which the apprehension of death arises is at a different place, that is, on the road, then the right of private defence does not mean that the person who is....................

अध्यक्ष—आपका यह काम नहीं है। कमीशन ने जिन बातों को लिखा है और जिस नतीजे पर श्री एस० के० दास पहुंचे हैं उससे दूसरा नतीजा नहीं निकालना है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं दूसरा नतीजा नहीं निकाल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि श्री पी० के० जैन कहते हैं कि सेल्फ डीफेंस के लिये सेक्शन १०६..........

अध्यक्ष—आपको यह सब कहने की जरूरत नहीं है। जिस हद तक उनको जाना चाहिए था उस हद से बाहर चले गये इतना ही कहना है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं भी यही कह रहा हूं कि जितना दूर तक जाना चाहिये उसके बहुत अधिक वे चले गये। अध्यक्ष महोदय, आप देखिये स्टेट उनको राइफल देती है, स्टेट उनको रिवॉल्वर देती है, बहुत बड़ी फोर्स देती है, वेतन देती है और सारी चीजें देती है। जब एक आदमी जिसके पास एक प्राइवेट रिवाल्वर हो जब वह इस तरह से यूज करता है तो आप उसको पनिश करते हैं और जिस पर इतना भरोसा किया, जिम्मेवारी दी वह आदमी अगर अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, बाहर जाता है और जब जैसा कि कमीशन ने कहा है कि :

"It is a peculiar feature of this case that Mr. Jain, Sergeant Mishra and Mr. Onkar Nath—all said at one stage or another that the

firing was over the head of the crowd, knowing that such firing would be against the instructions issued by the State Government. I have a feeling that the witnesses did not ...."

अध्यक्ष—इसलिये मैंने कहा कि सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—सरकारी आदेश मालूम है। सरकार नियम कोई बनाती है और अगर आप उस आदेश को विकृत करते हैं, उसके विरोध में जाते हैं तो आप दंडनीय हैं। सरकार नियम बनाती है कि सरकारी कर्मचारी इस सीमा के भीतर रहे लेकिन जो आदमी उस नियम का उल्लंघन करके उसके प्रतिकूल जाता है उसका क्या परिणाम होना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो पुलिस मैनुअल रूल ६२१ एल, के अनुसार यह कहा गया है कि अगर कहीं गोली चले तो तुरत एक्सप्रेस टेलिग्राम या किसी भी जरिये जल्द से जल्द गवर्नमेंट में इसकी सूचना देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप विचार कीजिये तो पता चलेगा कि उसमें भी वे फेलयोर रहे हैं। उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। फायरिंग होती है, गोली चलती है और दिन भर रिपोर्ट इसकी सरकार के पास नहीं देते हैं। अगर यही बात आपके नीचे के तबके के कर्मचारी से होती तो आप क्या उसे छोड़ देते, आप उसको नहीं छोड़ते लेकिन आपने इनको छोड़ दिया है। इसमें भी सरकार का फेलयोर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह होती है कि गोली चलाने वाले भिन्न-भिन्न लोग रहे हैं और भिन्न तरीकों से गोलियां चलाई गई हैं। बैंक पर हमला होता है और गोलियां चली बी० एन० कालेज पर। मैं आपके द्वारा सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि जरा सोचा जाये कि सारी गोलियां कैसे बी० एन० कालेज पर चली हैं।

अध्यक्ष—यह कहने की जरूरत नहीं है। जो निर्णय है वह कह सकते हैं। गोली चली या न चली इससे क्या मतलब है ? कौन कसूरवार है वह मालूम है।

श्री रामानन्द तिवारी—श्री जैन, सर्जेंट मिश्रा और श्री ओंकार नाथ ने इस तरह से नियम का उल्लंघन किया लेकिन आपने उनपर कोई भी कार्रवाई नहीं की।

अध्यक्ष—श्री ओंकार नाथ के बारे में कहां लिखा हुआ है कि वे कसूरवार हैं ?

श्री रामानन्द तिवारी—उनके बारे में कमीशन ने कहा कि गोली चलाना उचित था लेकिन उनका गोली चलाना अनियन्त्रित था, गलत तरीके से गोली चलाई गई है। गोली चलाना उचित था लेकिन दिशा अनिश्चित थी।

अध्यक्ष—तो आपका कहना है कि वे भी दोषी हैं ?

श्री रामानन्द तिवारी—जी हां। इसलिये कि जो लोग गोली चलाने वाले होते हैं उनका यह उत्तरदायित्व होता है कि वे नियन्त्रित तरीके से गोली चलावें, गोली चलाने में वे नियन्त्रित हों लेकिन श्री ओंकारनाथ ने ऐसा नहीं किया और इसलिए मैं उनको भी दोषी मानता हूं।

श्री रामप्रताप सिंह सब-इंसपेक्टर, जिसने मजिस्ट्रेट के रहते हु, बिना किसी हुक्म के, जो अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, जिनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, भीड़ को आते देख कर आग बबूला हो गये और अपनी जेब से रिवाल्भर निकाल कर गोली दागते हैं, उनके ऊपर अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की है ? आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ये मुअत्तल हो गये थे लेकिन फिर रिइंस्टेट किये गये और इनकी पोस्टिंग की गयी । तो क्या ऐसी सरकार को रहना चाहिए । दास कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज १०२ में लिखा है कि "फायरिंग वाज कम्प्लीटली अनजस्टिफ़ायड ।"

तो अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह का जुल्म करता है, अन्याय करता है, निर्दोष लोगों को मारता है, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाय, यह मेरा सरकार के ऊपर चार्ज है ।

एक चीज और अध्यक्ष महोदय, आप विचार करें, कोर्ट का एक दफा है कि अगर कोई गलत एवीडेंस दे तो उसपर १९३ दफा चलाया जाता है । इस रिपोर्ट के पेज ९७ में है कि जब मेडिकल कालेज के दो अफसर आते हैं और आई०-जी०, पुलिस से कहते हैं कि यहां फायरिंग हुई है तो वे जवाब देते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है पेज ९७ को आप देखें :

"These two gentlemen gave evidence to the effect that the Inspector-General of Police did not admit at first that there had been a firing by his constables.

अध्यक्ष—इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है । आपको जो कहना है कह डालिये ।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं अन्तिम अंश पढ़ देता हूं क्यों कि इसका पढ़ना जरूरी है :

"I do not consider it necessary to make any further comment on the aforesaid evidence of the Inspector-General of Police, except merely to state that it would have been far more frank and prudent to tell the medical men that there had been a firing which was being looked into."

इससे आचरण का पता चलता है । फैक्ट्स को छिपाने की कोशिश की गई है और आप जानते हैं कि कानून के मातहत अगर कोई आदमी गलत गवाही दे तो उसके खिलाफ १९३ की कार्रवाई की जाती है ।

श्री धनराज शर्मा—हमारा एक पायंट आफ आर्डर है । तिवारी जी जो कमीशन के एविडेंस को डिसकस करते हैं वह इर्रेलिभेंट है ।

अध्यक्ष—उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है और न वे ऐसा कर रहे हैं । वे केवल एविडेंस के रेलिभेंट पोर्शन्स को पढ़ते हैं, लेकिन वह भी जितना कम हो सके पढ़ना चाहिये ।

श्री रामचरित्र सिंह—इस मामले में प्रोसिड्योर यह है कि सरकार सभी वातों पर विचार करके एक रेजोल्यूशन निकालती है और जबतक वह रेजोल्यूशन न निकल जाय तबतक सरकार के प्रति यह आलोचना करना कि सरकार ने इस रिकोमेंडेशन को नहीं माना और इसको माना यह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—हम इसलिये कह रहे हैं कि सरकार इसको सोचे, यह जनता की मांग है कि कमीशन के फाइन्डिंग के अनुसार जो अफसर दोषी हैं उनको सजा दी जाय। आपके यहां हजारों-हजार अफसर हैं लेकिन सबों के ऊपर तो मैं लांछना नहीं लगा रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि जिन अफसरों के चरित्र के विरुद्ध कमीशन का फाइन्डिंग है उनको आप सजा दें। आप जानते हैं कि आई०-जी०, पुलिस एक बड़े जिम्मेदार अफसर और विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आई० जी० के विरुद्ध जो आबजरवेशन कमीशन ने किया है उसके बारे में आपने उनसे क्यों नहीं एक्सप्लानेशन पूछा। सरकार इस रिपोर्ट के ऊपर उचित कारंवाई इसलिये नहीं कर रही है कि उसके बड़े-बड़े अफसर इससे सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष—यह आप नहीं कह सकते हैं ?

श्री रामानन्द तिवारी—मेरे कहने का मतलब है कि सरकार फेल कर गई है। सरकार ने कोशिश नहीं की, सरकार चाहती नहीं है कि अपने अफसरों को उचित सजा दें। सरकार को चाहिये कि शीघ्रातिशीघ्र दोषी अफसरों को ससपेंड करे और उनको ट्रायल में भेजे। अगर को दोर्टषी समझेगी तो उन्हें सजा देगी और अगर वे निर्दोष समझे जायेंगे तो वे छोड़ दिये जायेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जनता के प्रति न्याय तथा अपना कर्त्तव्य नहीं करते हैं। सरकार ने जनता को विश्वास दिलाया था कि जो लोग दोषी होंगे उनको सजा दी जायगी लेकिन आज सरकार टाल-मटोल कर रही है। आपने लाखों-लाख रुपया खर्च करके, गरीब जनता के पैसे को खर्च करके, बाहर से वकील मंगाकर इस बात की कोशिश की कि आपके अफसरान बेदाग निकल जांय। लेकिन जब कमीशन ने उनको नहीं छोड़ा तो अब आप उस कमीशन के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे दोषी अफसरों के खिलाफ कारंवाई करें और यदि वे ऐसा न करेंगे तो जनता का जो भी बचा-खुचा विश्वास रह गया है वह भी जनता खो देगी।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार ने इस सदन के बाहर घोषणा की थी कि हम जमीन का न्यायोचित वितरण करेंगे।

अध्यक्ष—यह आप नहीं कह सकते।

श्री रामानन्द तिवारी— सरकार ने अभी तक कोई भी इस तरह का बिल नहीं लाया है जिससे इस राज्य में जमीन का वितरण हो।

अध्यक्ष—यह भी आप नहीं कह सकते।

श्री रामानन्द तिवारी—हम सीलिंग बिल के बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि सरकार को एक ऐसा बिल लाना चाहिये था जिसके द्वारा इस राज्य के ८७ लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के बीच भूमि का वितरण संभव होता। सरकार ने इस तरह का कोई बिल नहीं लाया और इसलिये सरकारी ने जनता का विश्वास खो दिया है।

हमलोगों ने इसी सदन में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था कि बिहार का एक ईंच भूमि भी बंगाल में नहीं जायगा। संविधान के आर्टिकिल ३ के अनुसार यदि किसी क्षेत्र के किसी हिस्से को दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाय तो उस प्रावधान के अनुसार उस क्षेत्र की जनता की राय लेना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि यह सारा भारत, यह सारा देश एक है लेकिन फिर भी मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो किशुनगंज तथा मानभूम की कुछ हिस्सा जो बंगाल में जा रहा है और जिसके संबंध में पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने कहा है कि यह फाइनल है। इसके संबंध में सरकार विल्कुल असफल रही। सरकार ने इस ओर कुछ नहीं किया। हालांकि मुख्य मंत्री ने इसी सभा में कहा था कि विहार की एक ईंच भूमि भी हम जाने नहीं देंगे। इस आश्वासन के विपरीत अब विहार का अंग भंग हो रहा है लेकिन मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर रही है। १९५२ के चुनाव में जनता ने आपके हाथ में अपने शासन का भार दिया था, यह विश्वास करके कि आप विहार का अंग भंग होने देंगे लेकिन आपने उस विश्वास का पालन नहीं किया और इस प्रकार आपने जनता का विश्वास खो दिया, हुआ तो कुछ नहीं लेकिन विलयन और मिलन का प्रस्ताव लाकर सिर्फ एक तमाशा कर दिया जैसे कि :

न खुदा ही मिला न विसाले सनम।
न इधर के रहे न उधर के रहे ॥

आप पर मेरा यह चार्ज है कि बिहार के इस हिस्से को बचाने के लिये, इस बिहार को बचाने के लिये, अविलंब आपको कदक उठाना चाहिये था और आपने कदम नहीं उठाया इसलिये आपको इस गद्दी से इस्तिफा दे देना चाहिये। आप पर मेरा यह चार्ज है कि विहार के अंग को भंग होने से वचाने के लिये आपने कुछ नहीं किया। आपने इसके अंग को भंग कर दिया और इसलिये आपको विहार की गद्दी पर बैठने के लिये अब कोई अधिकार नहीं है। आप अकर्मण्य हैं और आपको इस गद्दी आसीन रहने के लिये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने इसके लिये लाखो रुपया खर्च किया, सारे विहार में इसके लिये एजिटेशन हुआ कि बिहार का हिस्सा बंगाल में न जाय, एक तहलका मचा लेकिन विहार की जनता देख रही है कि बिहार को बचाने के लिये आपने कोई कारंवाई नहीं की। आपने यहां के पैसे को खूब खर्च किया, गरीबों की कमाई के पैसे को बिहार की रक्षा के लिये खर्च किया, बिहार की जनता भूखी रही, नंगी रही, जाड़े में ठिठूरी जिसमें विहार की रक्षा हो लेकिन आपके करते कुछ नहीं हुआ और इसलिये उसका अब विश्वास आप पर नहीं है और आप पर हमारा यह चार्ज है कि आपने विहार को बंगाल में जाने से रक्षा नहीं किया।

इसके बाद मुझे राजनैतिक पीड़ितों के प्रति दिये गये मदद के बारे में कहना है। मेरा यह विश्वास है कि जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिये अपने को कुर्वान किया, उनलोगों ने इसलिये ऐसा न किया था कि आजादी मिलने के बाद उनको इसके लिये पुरष्कार मिलेगा। मैं तो उनलोगों में से हूं जो यह मानता है

कि देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ना हर आदमी का फर्ज है, देश की आजादी के लिये हरेक आदमी को मर मिटना धर्म है, देश की आजादी के लिये भूखो रहना और बे घर के रहना उनका कर्त्तव्य है। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिये सबलोगों का प्रधान उद्देश्य यही था कि देश आजाद हो। इस लड़ाई के चलते बहुत लोगों की रोजी और रोटी गयी और बहुत से लोग बे घरवार के हुए। बहुत से लोग मारे गये जिनके परिवार आज भी असहाय और निःसहाय हैं। लेकिन आपने क्या किया ? आपने आजादी की लड़ाई लड़नेवालों के नाम पर कुछ लोगों को पेंशन और रुपया देना शुरू किया। आपने ऐसा किया तो ठीक किया लेकिन आपने इस काम को सुचारु रुप से नहीं किया बल्कि मनमाने ढंग से किया। आपने पेंशन देने और रुपया बाटने में पक्षपात किया। जो लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं और जिनसे आपको चुनाव में मदद मिलने की आशा है उनको तो आपने पेंशन और रुपया दिया है लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों को या उनलोगों को जिन लोगों ने चुनाव के समय आपका विरोध किया है उनके लिये आपने कुछ भी भी नहीं किया है हालांकि वे भी देश की आजादी की लड़ाई में उसी तरह से लड़े और बरबाद हुए हैं जिस तरह से आपके पार्टी के लोग। आपने इस चीज को भी अपने पावर को बनाये रखने, अपनी गद्दी को बनाये रखने के लिये किया है और सरकारी रुपया का दुर्व्यवहार किया है। जिनका हक इस मदद को पाने का था उनको आपने मदद नहीं दी है और इसलिये जनता का विश्वास आप से उठ गया है। जब हमलोगों ने आप पर अविश्वास के प्रस्ताव में इस चीज को लाया तो हमारे पास चिट्ठी पर चिट्ठी आने लगी कि अमुक जगह अमुक-अमुक तरह का पक्षपात हुआ है और अमुक-अमुक आदमी को वोट देने के लिये अपने पावर को बनाये रखने के लिये सरकार की ओर से मदद मिली है।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I think, the question of election should not be discussed here.

वोट के बारे में यहां नहीं बोलना चाहिए।

श्री कर्पूरी ठाकुर—कर्नालिंग और फेवरेटिज्म के बारे में ही हमलोग यहां पर डिसकस कर सकते हैं।

श्री रामचरित्र सिंह—हमारे जानते यहां पर इस डिबेट में वोट और पार्टी के बारे में बहस न होनी चाहिये।

(अन्तराल)

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर इस सरकार ने स तरह से काम किया है। राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर अपने ग्रूप को मजबूत बनाने के लिये ऐसे लोगों को पैसा दिया गया है जिनलोगों ने कभी भी अपने जीवन में आजादी की लड़ाई में किसी तरह का भाग नहीं लिया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही यह कहा था कि राजनैतिकों ने आजादी की लड़ाई में इसलिये हिस्सा न लिया था कि आजादी मिलने पर वे सरकार से या स्टेट से इसके लिये पैसा लेंगे लेकिन जब इस सरकार ने इस सिद्धांत को मान लिया और पैसा देना चाहती है तो उन्हीं लोगों को पैसा मिलना चाहिये जिन्होंने सचमुच आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो और आज असहाय और निःसहाय हो गये हैं, दूसरों के आश्रित हैं और बिना सरकारी मदद के उनका काम चल नहीं सकता है।

इस तरह के लोगों को सरकार की ओर से मदद के रूप में पैसा मिलना चाहिये लेकिन इस तरह के लोगों को पैसा मदद न मिल कर दूसरे ही लोगों को ग्रूप मजबूत बनाने के लिये पैसा मिलता है। सरकार का उद्देश्य और मकसद इसके पीछे यही है। मेरा दावा है कि ट्रेजरी बेंच के मुकाबले में ओपोजीशन के भी लोग कम काम आजादी की लड़ाई में न किये हैं। इधर के लोग १० या १५ साल तक भी कारावास भुगत आये हैं और कालापानी तक हो आये हैं जेल में रहने पर भी हथकड़ी और बेड़ी पहन आये हैं लेकिन फिर भी सरकार के सामने एक पैसे की मांग कभी भी नहीं किये हैं। वे लोग सरकार के सामने कभी भी हाथ पसारने नहीं गये हैं। लेकिन जो लोग जेल तक नहीं गये हैं उनको यह सरकार खुलकर पैसे दे रही है। इसलिये इस सरकार पर मेरा चार्ज है कि वह जनता के पैसे को, गरीब लोगों के पैसे का दुर्व्यवहार कर रही है। इसका मैं मिसाल देना चाहता हूं और आपके के ही जिले मुजफ्फरपुर का मिसाल देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—इसको यहां पर कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं मुजफ्फरपुर का हूं। स्पीकरहोने से मैं सबका हूं।

श्री रामानन्द तिवारी—अच्छी बात है। मैं हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करने गया था। वहां पर मुझे यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि सरकार द्वारा वहां पर किस तरह से गरीबों का पैसा बाटा जा रहा है और उसका दुरूपयोग किया जा रहा है। पार्टी पोलिटिक्स के नाम पर, पार्टी को मजबूत बनाने के नाम पर अपने हाथ में पावर बनाये रखने के लिये यह सरकार कितना अनुचित काम कर रही है इसका पता आपको वहां पर जाने से चल जायेगा। वहां पर ऐसे लोगों को पैसा दिया गया है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा न लिया था। इसी सदन में मैंने एक सवाल पूछा था और हमारे राजस्व मंत्री ने इसका जवाब दिया था कि ४ महीने से कम जेल जानेवाले को सरकार मदद नहीं देती है। लेकिन यह सरकार कभी भी जेल नहीं जानेवाले को भी मदद देती है। ४ महीने से कम जेल जाने के लिये धवरी के सुदामा ओझा को कोई मदद तो नहीं दी लेकिन वहीं के जनक तिवारी को ४-महीने से कम जेल जाने पर भी ५ सौ रुपया दिया गया है।

श्री जनक तिवारी जो कि चार महीने के वास्ते जेल गए थे उनको ५०० रु० दिए गए और उनको पेंशन भी देने की बात थी। श्री दीनानाथ तिवारी, जो कि २-३ बार जेल गए हैं और वे असहाय हैं और उनके परिवार में भी कोई नहीं है, उनके भरण-पोषण के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में जो लोग कभी भी जेल नहीं गए हैं उनलोगों को ५०० और १,००० रु० दिया गया है :

श्री रामपरीछन ठाकुर ग्राम वहेड़ा, थाना पुपरी को एक हजार।

श्री नारायण ठाकुर जो मुजफ्फरपुर के कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं उनके दो भतीजे जिनका नाम जोगेन्द्र ठाकुर और रामसेवक ठाकुर है, उनलोगों को २,५००, २,५०० रु० मिले हैं। आप गरीबों की कड़ी कमाई के रुपये का इस तरह से दुरूपयोग करते हैं। आप उन्हीं के वोट से यहां बैठे हुए हैं। आप उनसे कर के रूप में पैसा वसूल करके इस प्रकार से रुपये की बरबादी करते हैं। वे भूखों मरते हैं लेकिन आपको इसके लिए परवाह नहीं रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं

कि क्या यही आपकी नैतिकता है और क्या यही आपकी ईमानदारी है ? अब में जिन्हें नहीं मिला है, लेकिन जेल गए हैं उनके नाम आपको बताता हूं :—

(१) श्री राजनारायण मिश्र, ग्राम बहेड़ा, थाना पुपरी को २०० रु० मंजूर हुए, लेकिन नहीं मिले ।

(२) स्वर्गीय श्री राम विहारी महथा की पत्नी रामकली देवी को कुछ नहीं मिला ।

(३) श्री सत्यदेव महथा, ग्राम बहेड़ा, थाना पुपरी ।

(४) श्री लक्ष्मी गुप्ता, पुपरी ।

(५) श्री देवेन्द्र झा, खरका, थाना पुपरी ।

(६) श्री रामानन्द सिंह, बथनाहा, सीतामढ़ी ।

(७) श्री रामदीन साही, पंचपाकर, सीतामढ़ी ।

(८) श्री महेश्वर झा, माधोपुर, सीतामढ़ी ।

(९) चक्रपाणिझा, माधोपुर, सीतामढ़ी ।

(१०) श्री कृष्णदेव झा, रीगा, सीतामढ़ी ।

(११) श्री जमुना महथा, खोसी, सीतामढ़ी ।

(१२) श्री मथुरा मंडल, खोसी, सीतामढ़ी ।

(१३) श्री अक्षयवट राय, ककरहटा, हाजीपुर, इत्यादि ।

Shri RAM CHARITRA SINHA : I would like to suggest to the Chair that the hon'ble member may be given freedom to speak but if he would read out the whole list it would waste the time of the House.

अध्यक्ष—आप जितना चाहें, नाम दे सकते हैं ।

श्री रामानन्द तिवारी—अगर पूरा नाम दूंगा तो १० दिन का समय लग जायेगा, इसलिए में थोड़ा ही नाम और कह देता हूं ।

(१४) श्री सीताराम सिंह, कुशहर, महुआ थाना ।

(१५) श्री बेचन राय, बेकथपुर, महुआ थाना ।

(१६) श्री मंजय लाल, सकरा थाना ।

(१७) श्री पूरन चन्द्र नाथानी, सकरा थाना, इत्यादि इत्यादि ।

अब अध्यक्ष महोदय, में जो लोग जेल नहीं गए, लेकिन उनको रुपया मिला है उनका नाम बतला देना चाहता हूं ।

		रु०
(१) सतन जीव पाठक, हरदिया	..	३००
(२) राजेश्वर मिश्र, कोइली ..	..	३००
(३) रामहित पांडेय, कोइली ..	..	२००

		रु०
(४) मोहित ठाकुर की मां, चोरौत	..	१,०००
(५) तपेश्वर राय, कोइली	.. ..	२००
(६) तपेश्वर राय, कोइली	.. ..	३००
(७) रामसेवक दास, बेदौल	.. ..	१००
(८) कारी दास (दोनो भाई), बेदौल	..	१००
(९) लगनदेव ठाकुर, ग्राम विनही	..	..
(१०) महादेव शरण सिंह, अनहारी, थाना सीतामढ़ी		..
(११) शिवनन्दन पाल, चन्दपुरा	..	..
(१२) श्री राम बहादुर शरण, लोकनाथपुर, थाना पुपरी ।		

तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो लोग जेल नहीं गए तो उन्हें राजनीतिक पीड़ित कोष से सहायता मिलने का क्या कारण है ? इतना ही नहीं मैं गया जिला के बारे में भी कुछ नाम पढ़ देना चाहता हूं जिन्होंने जेल का फाटक भी नहीं देखा है उनलोगों को रुपया दिया गया है ।

डा० मंजूर, नवादा, जो कभी भी जेल नहीं गए हैं उनको ४ हजार रुपया मदद दी गई है ।

Shri DHANRAJ SHARMA : Dr. Manzoor was himself in the Jazaribagh jail. It is a palpable untruth to say that he did not go to jail. It is a slander against Dr. Manzoor.........

श्री रामानन्द तिवारी—श्री शक्ति कुमार, एम० एल० ए०, इन्हें करीब सात हजार

रुपये की सहायता दी गयी है । इन्होंने अपने तथा अपनी पत्नी के नाम पर सहायता पायी है । श्री जागेश्वर प्रसाद खलिश को करीब १५ हजार रुपया सहायता मिली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग १९४२ के पहले से ही जेल गए हैं और १९४२ के आन्दोलन में गोली खाई है उनलोगों को सिर्फ ३०० रु० सहायता दी गई हैं । उनके नाम हैं श्री बीगेश्वर मिश्र, सरजू सिंह, मदन मोहन सिंह और सहदेव सिंह; शिवभजन सिंह, और रामभजन । श्री रामेश्वर सिंह को साढ़े सात सौ रुपये मंजूर हुए, लेकिन मिले नहीं । ये करीब पांच बार जेल गए और करीब छः वर्ष जेल में रहे और १९४२ में जांघ पर कुरथा थाने में गोली लगी । बदरी नाथ सिंह, वमना को एक हजार रुपया दिया गया और कमला पांडे को सिर्फ २०० रु० दिया गया, लेकिन उसी ग्राम के वासुदेव नारायण को जो दो बार जेल गया १९४२ और १९४३ में, अभी तक एक पाई भी नहीं मिला । गया जिला के प्रजा समाजवादी तथा दूसरे दल वाले के कुछ लोगों को नाम मात्र का दिया गया और कुछ लोगों को एक पाई भी सहायता नहीं दी गयी जब कि कांग्रेस कर्मी को ५ हजार से ८ हजार तक दिया गया है । श्री छठु तिवारी, मुंगेर को साढ़े पांच सौ रुपया मिला । १३ सितम्बर १९५४ को एक बार चिट्ठी गयी कि आपको ३०० रु० पोलिटिकल सफररंस फंड से दिया गया है और फिर १५ सितम्बर १९५४ को एक चिट्ठी गयी कि आपको २५० रु० राजनीतिक पीड़ित सहायता कोष से मिला है । तो मेरा पूछना है कि एक अनमी की दरखास्त आपके यहां पड़ी हुई रहती है लेकिन एक आदमी को दो-दो बार दिया जाता है, यह कहां का न्याय है ।

Shri RAM CHARITRA SINHA : I want to point out to the Chair that the time allotted to the opposition should be fixed. This is a motion of censure against Government and Government should have sufficient time to place all the facts before the House. Therefore how much time should be allotted to each party should be fixed.

SPEAKER : I will try my best to make the allotment of time equitably as far as possible.

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, श्री केदार सिंह, दाउदनगर, गया को १,५०० रु० मिला है जो केवल १९३० में तीन मास के लिए जेल गए थे। तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि आपका राजनीति पीड़ित कोष से सहायता देने का क्या सिद्धांत है। आप तो एक तरफ कहते हैं कि जो आदमी चार माह से ज्यादा दिन तक जेल नहीं गया है उसको सहायता नहीं मिलेगी लेकिन आप इस तरह पक्षपात करते हैं। ठीक, है, आप पावर में हैं जो चाहें कर लें। अपवाद सभी चीजों में होता है। जो जिला कांग्रेस कमिटी के सभापति रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं उनसे राय नहीं लेते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं तो फिर आप किससे राय लेंगे ? मैं जानता चाहता हूं कि आप अपोजीशन के लोगों को क्यों नहीं रखते हैं जो आजादी की लड़ाई में बहुत दुःख उठा चुके हैं। जो आपकी कमिटी में हैं उनको टी० ए० और डी० ए० देते हैं।

अध्यक्ष—टी० ए० और डी० ए० के क्या मानी ?

श्री रामानन्द तिवारी—आपको अपोजीशन के लोगों को रखना चाहिए। आप उन्हें क्यों नहीं रखते हैं ? आप विचार करें कि जमशेदपुर में ३३ सिपाहियों ने १९४२ की आजादी की लड़ाई में रिवेल किया। कितने सिपाही जेल में भेजे गए। उनलोगों ने मजिस्ट्रेट को लिख कर दे दिया कि हमलोग इस अंग्रेजी राज्य के अन्दर काम नहीं करना चाहते हैं, हमारी सरकार कांग्रेस है। श्री सुखदेव सिंह को एक वर्ष जेल की सजा हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं इस सरकार की नौकरी नहीं करूंगा। आपने उन्हें एक पैसा भी दिया ? आज वह भिखारी बना पड़ा है। उसके बाद रामानन्द झा सहरसा का रहने वाला है वह भी जमशेदपुर का सिपाही था। बांका सिंह, त्रिवेणी सिंह, मथुरा सिंह, इत्यादि, इत्यादि को आपने एक पैसा भी दिया ? कुछ लोगों को आपने रिइन्स्टेट किया लेकिन ससपेन्शन से रिइन्स्टेटमेन्ट के बीच के पीरियड का एक पैसा भी दिया ? मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कितना पक्षपात किया, कितना नैतिकता का ह्रास किया ? क्या मैं पुछूं कि ऐसे आचरण करने वाले, ऐसा चरित्र रखने वाले, जिसका चरित्र ऐसा हो गया हो तो क्या इस तरह की सरकार को एक मिनट भी गद्दी पर रहने का अधिकार है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डकैत-डकैती करते हैं तो उन्हें आप यह कह कर कि वे अपराधी हैं आप जेलों में बन्द कर देते हैं। आप कानून बना कर, अपने मन के अनुसार कमिटी बनाकर पब्लिक का पैसा, जिसने आपको विश्वास पर दे दिया है उसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि उस डकैत से आप ज्यादा अपराधी हैं और आपको उससे ज्यादा दंड भी मिलना चाहिए। बहुमत के नाम पर आप

गद्दी पर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि अपोजीशन के लोग बहुत कमजोर हैं। आप ऐसे आतताई हो गए हैं कि आपको कुछ सूझता नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे हाथ में पैसा है, आप जानते हैं कि एलेक्शन में दोबारे, तीवारे आ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां तक यह जनता का राज्य है? यही मेरा चार्ज है। आप जानते हैं कि सरकार की ओर से अनैतिकता, अनौपचारिकता, पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा पक्षपात जाति के आधार के ऊपर वे लोग कर रहे हैं कि उनलोगों को जो उनकी पार्टी के हैं पर उनके दल में नहीं हैं उनको भी नहीं दिया जाता है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। आपको इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए। अपोजीशन की तरफ से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है अगर जनता उससे सहमत है तो आपको वोट नहीं देगी, और सहमत नहीं है तब वोट मिलेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जेनरल एलेक्शन के पहले आप एलेक्शन लड़ें। यह पौलिसी की बात है, ट्रेजरी बेंच के विरुद्ध हमलोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया है। इसमें अपोजीशन के सभी लोग शामिल हैं। हमलोगों ने बहुत सोच-समझ कर, जनता के दिमाग का अध्ययन कर इस प्रस्ताव को लाया है। मैंने कहा कि आपने बिहार को छोड़ दिया, आज बिहार का अंग-भंग हो रहा है। दास कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने हत्या की, जिन्होंने गोलियां चलाई और चलाकर हमारे मासूम बच्चों की हत्या की, सरस्वती मन्दिर की पवित्रता को अपवित्र किया, चलते हुए लोगों का शिकार किया, अमुक-अमुक व्यक्ति ने गोली चलाई इसको दास कमीशन ने प्रमाणित कर दिया है।

अध्यक्ष—यह सब तो आप कह चुके हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—अब खत्म कर रहा हूं। आपके अफसरों को जिधर मन में आया गोली चला दी, बी० एन० कालेज के लड़कों को भूंज दिया। आपने सबों को छोड़ दिया। वे खून करें, मर्डर करें, जिसको मन में आवे जेल में बन्द कर दें। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वाइस-चान्सलर के लेटर का जवाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने क्यों नहीं दिया? यदि उत्तर दिए होते तो यह खून नहीं होता, मर्डर नहीं होता। इन बातों का उत्तरदायित्व सरकार पर है। जिन्होंने अन्धाधुंध तरीके से गोली चलाई है उनको आप प्रोसिक्युट करें, जेल में बन्द करें। आप से जानना चाहता हूं कि सरजेन्ट मिश्रा और मिस्टर पी० के० जैन के जैसे लोगों को बहाल किया। आपने उनलोगों को रखा है जिन्हें जिधर मन में आता है गोली चलाते हैं, उनको आप ससपेंड करें, एक दिन भी बाहर न रहने दें। जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया है उनलोगों से कम दोषी आप नहीं हैं। यदि वे हत्या के अपराधी हैं तो यह बिहार सरकार कम अपराधी नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जो सरकार खूनी को छोड़ देती है और स्टेट के पैसे से खूनी को बचाने की कोशिश करती है इस राज्य की जनता को ऐसी अकर्मण्य सरकार को रहने नहीं देना चाहिए। अगर आप जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो उनलोगों का ट्रायल करें, उनलोगों को प्रोसिक्युट करें, ससपेंड करें, मुअत्तल करें यदि उनलोगों को सजा नहीं देते हैं तो आपको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने जनता का विश्वास खो दिया। जैसा कि आपने आश्वासन दिया था कि

हमारे राज्य में इस तरह का न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा वह सब खो दिया और इसीलिए हमलोगों ने आपके ऊपर इस तरह का चार्ज लाया है। यह प्रमुख न्यायालय की फाइण्डिग है, रामानन्द तिवारी की फाइण्डिग नहीं है, अपोजीशन के लीडर की फाइंडिग नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन हत्यारों के विरुद्ध, जिनके द्वारा मासूम बच्चे मारे गए हैं, जिनके द्वारा गोली चलाई गई है उन पर ऐक्शन लें नहीं तो जनता में असंतोष फैल रहा है, जनता कराह रही है, जनता उपाय सोच रही है कि क्या करें कि न्याय मिले और ये अपराधी दंडित हों। एक दिन आयेगा जब कि जनता की कचहरी में आपलोगों का ट्रायल होगा और उस दिन आपको कहना होगा कि आपने उन हत्यारों को क्यों छोड़ दिया? इतना कहने के बाद में सदन के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सब मिल कर एक मत से इस सरकार को हटा दें। उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार बनावें लेकिन उसमें ऐसे मिनिस्टरों को जो आज सरकार चला रहे हैं और हत्यारों को, आततायियों को, घूमने के लिए छोड़ देते हैं उन्हें न रखें। ऐसी सरकार जिनके अफसर झूठ बोलते हैं, गलत बात कहते हैं, पुलिस का कोट वगैरह पहरे घूमते हैं और पब्लिक के जान-माल की रक्षा नहीं करते हैं, अगर वह उनको ऐसा करने से न रोके तो मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आपका यह काम उचित नहीं है। इस तरह आपके नैतिकता का पतन हो रहा है।

इसलिये हम कहते हैं कि आज ४ बजे के बाद से यह सरकार नहीं रहे। (थपथपी।) यह सरकार डिमोक्रैसी की हत्या करती है। हमारे साथी श्री कर्पूरी जी अन्य बातों पर प्रकाश डालेंगे। इतना कहकर मैं विदा लेता हूं और मेरा चार्ज उचित है और जनता चाहती है कि इस शासन का तुरत अन्त हो जाय।

श्री धनराज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि माननीय सदस्य ने डाक्टर मंजूर अहमद के बारे में जो आरोप लगाया है वह गलत है। हमलोग हजारीबाग जेल में थे और उस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये इसको प्रोसिडिंग्स से एक्सपंज कर दिया जाय या प्रिविलेज कमिटी में भेजा जाय।

अध्यक्ष—वादविवाद के बाद इस पर विचार किया जायगा।

Shri MURLI MANOHAR PRASAD : Sir, I rise on a point of order. There is a reflection on a member of this House. The reflection is a reflection to the personal knowledge of most of us. It should be withdrawn or it should be expunged from the proceedings.

SPEAKER : I have to wait for the reply of the Minister. I do not say that the statement is wrong but I have to take any action after the reply of the Minister.

(श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश खड़े हुए।)

अध्यक्ष—मैंने आपको नहीं पुकारा है।

श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश—मैं एक एक्सप्लानेशन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—मैं नहीं सुनना चाहता हूं। आप बैठ जायं।

श्री एस० के० बागे—अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रान्त बड़ा अभागा है, यह दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार कदम-कदम पर गलती करती जाती है और इसकी जिन्दगी के पांचवें वर्ष में इसकी गलती और भी बढ़ गयी है। इसलिये यह अविश्वास का प्रस्ताव हमारे एप्रुभल और औथोरिटी से लाया गया है। मैं एक स्पेसिफिक चार्ज सरकार के ऊपर लाता हूं। इस सरकार ने पांचवें वर्ष में बिट्रेयल का काम कर दिखाया है। जिस काम को १५ मई १९५३ को हमलोगों ने सौपा था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद २ दिसम्बर १९५५ को जो काम हमलोगों ने सौंपा कि बिहार के टुकड़े न हों, झारखंड के टुकड़े न हों लेकिन इनकी सुस्ती के कारण पुरुलिया और किसुनगंज के कुछ इलाके कटने जा रहे हैं। इनकी सुस्ती के कारण २ तारीख को केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री ने स्टेटमेन्ट दिया है कि यदि यूनियन का प्रस्ताव गिर जायगा तो कमीशन ने जो सिफारिश की है कि मानभूम और किशुनगंज कुछ इलाके बंगाल को दिये जायं, दे दिये जायेंगे। मैं एक ही स्पेसिफिक चार्ज लाता हूं कि बिहार सरकार ने भारत तथा दुनियां के सामने यहां की जनता को नीचा दिखाया है।

एस० आर० सी० कमीशन के सामने हमलोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से मेमोरैण्डम दिया था और बिहार सरकार भी कमीशन के सामने गयी थी। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता है कि इस सरकार ने कैसा मेमोरैण्डम दिया। वह मेमोरैन्डम तो जनता के पैसे से बना था और जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिये थी। इसका फर्ज था कि उस मेमोरैन्डम को हाउस के टेबुल पर रखती। मेरा ख्याल है कि इस सरकार ने कमीशन के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं रखा है इसलिये यह उस मेमोरैण्डम को जनता के सामने नहीं रखना चाहती है। १० अक्टूबर १९५५ को कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। इस पर हमारी सरकार चुप रही। सितम्बर में सरकार का जवाब रहा कि समूचे बिहार से जमीन्दारी उठा दी जायगी लेकिन मानभूम से नहीं उठी। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार यह जानती है कि वह इस काबिल नहीं है कि बंगाल के रायल टाइगर के सामने पुरुलिया और किशनगंज को जाने से बचा सकेगी। आप जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेन्ट का यह फैसला हुआ कि चांडिल, चास वगैरह को छोड़कर समूचा पुरुलिया और इसी प्रकार पूर्णिया के कुछ हिस्से भी बंगाल में चले जायेंगे लेकिन इस पर हमारी सरकार चुप रही।

श्री रामचरित्र सिंह—क्या करने से नहीं जायगा यह आप बतावें ?

श्री एस० के० बागे—२ तारीख को होम मिनिस्टर ने स्टेटमेन्ट दिया लेकिन हमारी सरकार चुप रही। फिर ४ तारीख को श्री बी० सी० राय ने अपना स्टेटमेन्ट दिया, मगर इस समय भी हमारी सरकार चुपचाप रही।

आप जानते हैं कि १९४८ की पहली दिसम्बर को यह फैसला हुआ था कि सरायकेला और खरसावां उड़ीसा में मिला दिये जायं लेकिन इसके लिये वहां की जनता ने अपना खून बहाया।

इसका नतीजा यह हुआ कि ये हिस्से उड़ीसा में जाने से बच गये। मेरा यही स्पेसिफिक चार्ज है कि बिहार सरकार अपने बगल की सरकार के साथ मिलकर झारखंड का टुकड़ा कर देना चाहती है। आज बिहार सरकार की कहीं भी इज्जत नहीं है, न भारत सरकार के पास और न बंगाल की सरकार के पास। जब यूनियन का प्रस्ताव आया तो समय-समय पर बंगाल के मुख्य मंत्री कुछ शर्त्तें देते रहे लेकिन हमारी सरकार चुपचाप सुनती रही और आज जब हमारा कुछ अंग बंगाल में जाने को है तब हमारी सरकार कहती है कि नहीं जाय।

अब कहने की आवश्यकता है कि जब तक किशुनगंज की जनता नहीं चाहेगी तब तक नहीं देंगे, पुरुलिया की जनता में प्लेबिसाइट हो, झारखंड की जनता में प्लेबिसाइट हो। अध्यक्ष महोदय, इसी स्पेसिफिक चार्ज पर कि कदम-कदम पर जो काम इन लोगों ने किया है इन पांच वर्षों के अन्दर वह ठीक नहीं है और इन्हीं के चलते बिहार का, झारखंड का टुकड़ा-टुकड़ा हो रहा है इसलिए मैं नो-कंफिडेंस मोशन लाता हूं कि सरकार को कोई हक नहीं है कि वह आज से गद्दी पर बैठे और श्री रामानन्द तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बसावन सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के पेश किये हुए नो-कंफिडेंस

मोशन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं कह नहीं सकता कि मैं अपनी बातें कितनी दूर तक कह सकूंगा और उसका क्या असर यहां होने वाला है, वक्त भी बहुत कम है लेकिन जहां तक हमने राजनीति को समझने की कोशिश की है राजनीति में हयादारी कुछ कम होती है लेकिन बाज वक्त ऐसा भी सवाल उठता है जो हयादारी दल और व्यक्ति के ऊपर हो जाया करता है। मुझे इस सूबे के राज्य के मुख्य मंत्री के अंगद का चरण, चट्टान आदि जो शब्द हैं वे बराबर याद पड़ते हैं और इसी सदन में जब वह प्रस्ताव आया था कि बिहार के किसी हिस्से को बाहर जाने देना गैरवाजिब होगा तो इस सदन में बहुमत से, दो-चार छोड़कर, बहुत बहुमत से उसको पास किया था और वह प्रस्ताव अपनी जगह पर है और अंगद का चरण भी याद है और सदन के सभी लोगों को याद होगा कि उसके बाद जब दिल्ली का फैसला बतलाया गया और फैसले में यह भी कहा गया कि बंगाल के मुख्य मंत्री डा० राय ने दिल्ली जाकर वह बदलवा दिया। विश्वस्त सूत्र से स्टेटमेन्ट था लेकिन इसका कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं निकला और यहां की सरकार दिल्ली पहुंची इस्तीफा देने को और उसके बाद मर्जर का सवाल आता है। उसके बाद मर्जर की जगह यूनीलैटरल चला आता है। एक प्रान्त के मुख्य मंत्री ने दूसरे प्रान्त के मुख्य मंत्री को एक चपरासी के बराबर भी नहीं समझा। एक ज्वाएन्ट प्रस्ताव लाया गया देश के सामने जिसका असर यह हुआ कि बम्बई, उड़ीसा, हिन्दुस्तान तक चारों कोने में जो आग लगी हुई थी उसे ठंढी होने का मौका मिला और इसके लिये वे मुबारक के पात्र हैं लेकिन वहां बंगाल के मुख्य मंत्री यूनीलैटरल के प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं और हमारे मुख्य मंत्री से पूछा तक नहीं कि इनका क्या ख्याल है और अध्यक्ष महोदय, हमारे ख्याल से यह इम्प्रैक्टिकल बात हो गई है।

श्री पशुपति सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। एक स्टेट

के चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चपरासी भी नहीं समझते हैं मैं समझता हूं कि यह कहना हाउस की डिगनिटी के खिलाफ है।

श्री वसावन सिंह—मैं कहना चाहता हूं कि यदि शिष्टाचार का नियम यही रहा तो हिन्दुस्तान की राजनीति जंगल की राजनीति हो जाने वाली है। मैंने बहुत समझ-बूझकर इस शब्द का व्यवहार किया है, चपरासी को भी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है लेकिन वह भी नहीं मिली।

श्री पशुपति सिंह—प्वायन्ट ऑफ आर्डर का फैसला तो होने दीजिये।

अध्यक्ष—आप यह कह सकते हैं कि इज्जत नहीं किया लेकिन चपरासी कहना ठीक नहीं है।

श्री वसावन सिंह—मैंने तो इलस्ट्रेशन किया।

अध्यक्ष—इलस्ट्रेशन में ऐसा शब्द न व्यवहार किया जाना चाहिये जिससे वेस्ट बंगाल और यहां के चीफ मिनिस्टर पर आक्षेप हो, यह ठीक नहीं है। इसे आप उठा लें।

श्री वसावन सिंह—खैर, मैं चपरासी वाली बात वापस ले लेता हूं लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनको एक तुच्छ व्यक्ति समझा गया। अब उनके पास आर्गुमेन्ट यही था कि बंगाल के पब्लिक ओपीनियन कलकत्ता के बाइ-इलेक्शन से जाहिर हुआ और एक बाई-इलेक्शन का पब्लिक ओपीनियन उनके लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ओपीनियन के बाद भी आज तक हमारी सरकार की राय हमारे सामने और देश के सामने नहीं आई है। मैं जानता हूं और मैंने समझ-बूझ कर यह कहा है कि हयादारी का बाज वक्त तकाजा हो जाता है कि कोई व्यावहारिक कदम उठावे और इस वक्त यह तकाजा था। मेरा ख्याल है कि बिहार का वह हिस्सा जो बेजा तरीके से दिया जा रहा है, जिसको बेजा तरीके से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बंगाल को दे रही है, एस० आर० सी० के सारे सिद्धान्तों को हनन करके बंगाल को वह हिस्सा दिया जा रहा है और उसके बारे में इस हाउस के किसी एक आदमी को भी शक नहीं है कि हर सिद्धान्त जिस पर एस० आर० सी० का रिकमेण्डेशन आधारभूत है वह हनन हो रहा है किशुनगंज और कसाई नदी के बारे में एक-एक कर सिद्धान्त हनन हो रहा है। मनमाने तरीके से दिल्ली बिहार के हिस्से को बंगाल को दे रही है। मैंने कहा था कि दिल्ली की दलील सामने कारगर है और वह दलील मैं नहीं चाहता हूं। बंगाल ने जो दलील अपनी दी है। बंगाल के कहने पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार फैसला किया। आन्ध्र ने क्या कहा, क्या हुआ और क्या जवाब दिया और पंजाब में हिम्मत तक नहीं हुई कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अपने फैसले को चलाये। मैं यह नहीं कहता कि यही रास्ता अपनाना होगा, ऐसा मौका नहीं आये लेकिन ऐसा जवाब देने की जरूरत है जो शान्ति के दायरे के अन्दर है, जो लोकतंत्र के दायरे के अन्दर है। जवाब में दम हो, ताकत हो। आपको इतना कहने की आवश्यकता थी कि बिहार को चलाने की जिम्मेवारी तब हमारी नहीं रहेगी जिसमें कोई शक और शुबहा न रह जाये।

श्रीकृष्णवल्लभ बाबू, राम चरित्र बाबू, महेश बाबू और सबसे ज्यादा श्री बाबू जो कुछ कहते हैं वह सोलहो आना ठीक है। लेकिन मुझे शक है इस सोलह आने में। बिहार को चलाने के लिए कोई गवर्नर मुकर्रर नहीं करना पड़ेगा, या डिक्टेटर भेजना नहीं पड़ेगा। वे समझते हैं कि हम जो कुछ कर देंगे ये लोग चलावेंगे। बिहार का हिस्सा जाय या रहे ये लोग बिहार का शासन चलायेंगे। देहली में कह दिया और आप मान गये। गवर्नमेन्ट चलाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप नेहरू जी के प्रति जिम्मेदार हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के प्रति जिम्मेदार हैं तो आप बिहार की जनता के प्रति भी जिम्मेदार हैं। अगर आप किशनगंज और पुरुलिया के हिस्से को नहीं बचा सकते हैं तो आपको एक क्षण भी यहां टिकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरी साहस हुई कि इस नो-कन्फीडेंस के मोशन का समर्थन करूं। मैं आशा करता हूं, मैं जानता हूं कि इस तरह के प्रस्ताव के अन्दर, नो-कन्फीडेन्स के प्रस्ताव के अन्दर इस बात को रखना, मेरे ख्याल में शक है, वाजिब नहीं होता। मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव पर वोट होगा और यह प्रस्ताव गिर जायेगा। मगर इसको पास करते हैं तो आंज ही आपको इस्तीफा देकर हट जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ अड़चन है, कम्पिलकेशन है। जहां तक नो-कन्फीडेन्स की बात है वहां वोट का सवाल है। मैं जानता हूं कि वोट आपके पास है और आपही के विचारधारा के लोग यहां ज्यादा संख्या में हैं। हमको इसमें तनिक भी विश्वास नहीं है कि मेरे इस विचार का वे समर्थन करेंगे। इसलिए उनसे कोई ठोस कदम उठाये जाने की आशा मुझे नहीं है। इसलिए भी मेरा निन्दा का प्रस्ताव है।

एक चीज और भी मैं कह देना चाहता हूं। पोलिटिकल सफरर्स के बारे में एक शब्द भी मैंने आजतक नहीं कहा और पोलिटिकल सफरर्स के बारे में हाउस में बोलते हुए श्री कृष्णवल्लभ सहाय ने कहा था कि पोलिटिकल सफरर्स के लिए जो कमिटी बनी है उसमें मेरा भी नाम है। जहां तक उस कमिटी का सवाल है और उसके फैसले का सवाल है उससे मेरा संबंध है क्योंकि जब तक मैं उस कमिटी से इस्तीफा देकर हट नहीं जाता उसमें मैं शिरकत करूंगा ही। लेकिन ३-४ बात उसके संबंध में कह देना चाहता हूं। आज जो कमिटी चल रही है उस कमिटी की चाहरदीवारी खींच दी गयी है। उस चाहरदीवारी के अन्दर कमिटी को फैसला करना पड़ता है। एक बात उसमें है कि जो लोग जेल गये हैं उनको २५ रुपये महीने के हिसाब से दिया जाता है। दूसरी बात है कि जिनकी दरखास्त १९५२ के जून या मई महीने तक पहुंच गयी है उनकी ही दरखास्त पर विचार होता है। तीसरी चीज है कि जो इस हाउस के मेम्बर होंगे उनको नहीं दिया जायगा। मैं कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा अन्याय छिपा हुआ है। यह फैसला बिहार कैबिनेट की है। इस असेम्बली का फैसला नहीं है।

असेम्बली का फैसला नहीं, कानूनी फैसला नहीं, यह बिहार कैबिनेट का फैसला था। इसको आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो अन्याय छिपा हुआ है वह जाहिर हो जायगा। सन् १९५१ के अन्त में अथवा १९५२ में, इस असेम्बली के ठीक शुरू होने के पहले यह कानून बना था। इस कानून के पहले जो एम० एल० ए० थे उनको भी मालूम होगा कि जिन्होंने दरखास्त दी उनको मुआवजा मिला। उसमें ऐसे लोग भी थे जो जेल नहीं गये थे सिर्फ फरार हुए थे या जिनकी जायदाद लूटी गई थी जिनके घरबार जला दिये गये। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको किसी तरह की क्षति नहीं हुई थी और उन्हें भी सहायता दी गयी।

यहां पर दो ट्रेस आफ जस्टिस हो गया। बिहार कैबिनेट को यह अन्याय नहीं करना चाहिये था। पोलीटिकल सफ़रर्स की जो परिभाषा आज मानी जाती है वही परिभाषा १९५२ के पहले नहीं मानी गई थी। इस तरह से बहुतों को ऐसे लोगों को दिया गया है जिनको नहीं मिलना चाहिये था। इस देश में जो राजनीतिक आन्दोलन चला था उस आन्दोलन में यही एक शर्त नहीं था कि जो जेल जायगा वही स्वराज्य की लड़ाई लड़ने वाला माना जायगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं और शायद ऐसी बात है भी नहीं। १९४२ के आन्दोलन को गांधी जी ने ऐप्रूभ नहीं किया लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए अफ़सोस जाहिर किये थे। १९४५ में जब सब नेता बाहर आये तो उनलोगों ने इसकी जिम्मेवारी को स्वीकार किया और हिन्दुस्तान में जो कुछ हुआ था उसकी तारीफ की। थाने जलाये गये, थाने पर कब्ज़ा किया गया, पोस्ट आफिस लूटे गये और तरह-तरह के क्रांतिकारी काम किये गये। सरकार की तरफ से भी बड़ी खतरनाक रिप्रीसल हुई और लोगों के घरबार जलाये गये। लोगों ने भी डटकर मुकाबला किया और यह शपथ ली कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक हमलोग दम नहीं लेंगे। उनलोगों ने उस वक्त इसका ख्याल नहीं किया था कि एक वक्त आयेगा जब आप उनके कामों के लिये इनाम और तोहफे देंगे। लोग नेपाल के जंगलों में भागे थे, दूसरे देशों से शस्त्र मंगाये थे, फौजों से कंटैक्ट किये थे और जगह-ब-जगह उनको भड़काये भी थे। इस तरह बहुत-से लोग बरबाद, परेशान और भूमिहीन हो गये लेकिन बिहार कैबिनेट की निगाह में वे पोलीटिकल सफरर नहीं हैं। इनमें बहुत-से ऐसे लोग हैं जो १५,२० तथा ३० साल तक आपके साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर आजादी की लड़ाई में काम करते रहे हैं। बाबू सियाराम सिंह को १९४२ में जेल जाने का मौका नहीं मिला और इसलिये वे पोलीटिकल सफरर नहीं माने गये और उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। और जिन लोगों को कर्टसी के खातिर पुलिस ने पकड़ कर दो, चार महीने के लिये जेलखाने में रख दिया तो वे आपके नुक्तेनजर से बहुत बड़े राजनीतिक पीड़ित हो गये। आपकी मिनिस्टरी के लिये यह बहुत बड़ा लैंग है, स्लैंग है, यह बहुत बड़ा कलंक का टीका है। इस प्रस्ताव के फेल करने के बाद अगर आप जिन्दा रहे तो उन ट्रेजरी बेंचेज पर तो आपका काम होना चाहिये कि आप अपने इन कागजों को रद्दी के टोकरे में फेंक दें और जो बेइंसाफी आपने लोगों के साथ की है उसमें सुधार करें।

अध्यक्ष महोदय, जमीन के बटवारे का जो एक आइटम है उसपर बहुत-सी बहस-मुबाहिसा हो चुकी है। इस संबंध में मैं कुछ अधिक नहीं बोलना चाहता हूं केवल मैं यह कह देना चाहता हूं कि कलही मैं श्री चेस्टर बाउल्स जो अमेरिका के राजदूत थे उनकी ऐम्बेसडर्स रिपोर्ट नामक किताब को मैं पढ़ रहा था। अपनी किताब में उन्होंने डिस्कस किया है—गांधी जी और जमीन पर उनकी कल्पना। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी की यह राय थी कि जमीन का पुनर्विभाजन हो और मुआवजा भी नहीं दिया जाय। साथ ही उन्होंने विनोवा जी के भूदान की भी चर्चा की है। एक बात जो बड़े मार्के की है उन्होंने लिखा है वह यह है कि जिस काम को च्यांगकाई शेक चाइना में नहीं किया, और जिसके चलते उन्हें चाइना छोड़कर फारमोसा में शरण लेनी पड़ी, उसी काम को वे आज फारमोसा के अन्दर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज फारमोसा में च्यांगकाईशेक ने जमीन का पुनर्वितरण कर दिया और उसको वे वहां बड़ी ही सख्ती के साथ कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो देश पिछड़ा हुआ है और जहां जमीन का ठीक से वितरण

नहीं हो सका है यानी किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास एकदम नहीं है, और किसी के पास थोड़ा है इसको फिर से बंटवारा करना ही वहां का एकमात्र उन्नति का सहारा है। यही हालत हिन्दुस्तान की भी है, यहां भी जमीन किसी के हाथ में ज्यादा है, किसी के पास एकदम ही नहीं है अर्थात् भूमिहीन है या किसी के पास बहुत कम है तो ऐसे मुल्कों का पहला काम है यहां के एकोनामी को स्टैबिलाइज करने और गवर्नमेन्ट को स्टैबिलाइज करने के लिये और डेमोक्रेसी को जिन्दा रखने के लिये जमीन का पुनर्वितरण करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अथवा प्लैनिंग कमीशन अथवा हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े एकोनामिस्ट आज सब के सब यह मंजर कर चुके हैं कि जमीन पर सीलिंग लगे और जमीन का पुर्नवितरण हो। लेकिन ऐक्शन नहीं होता है इसमें क्या राज है इसका पता नहीं चलता। मालूम होता है कि जिस समाज के लोगों के बीच जमीन है उनसे आपको ममता है, मोह है और जिन लोगों के पास जमीन कम है या भूमिहीन हैं उनका आपको ख्याल नहीं है। मगर आपको सका जरा भी ख्याल नहीं है कि हिन्दुस्तान की प्रगति कैसे होगी, इसका प्रोग्रेस फीउचर में कैसा होगा? अपने लोगों के मोह-ममता में आप अंधे बने ए हैं। हिस्टोरिकल नेसेसिटी आपके कन्धे पर है मगर उसकी तरफ आपका . ख्याल नहीं है। आप उस काम को करते हैं और करेंगे जब आपके नाक पर पानी आ जायगा अर्थात् जब आप वाध्य होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि तब आप हिन्दुस्तान को बचा भी नहीं सकेंगे तथा इसकी प्रगति भी नहीं कर सकेंगे। आपने इस काम को आजतक नहीं किया है जिससे आप पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है और मैंने सका समर्थन किया है। श्री तिवारी जी जिसने इस अविश्वास के प्रस्ताव को मूभ किया है उन्होंने सभी बातों को साफ-साफ कह दिया है और सरकारी जजमेंट को साफ तौर से डिस्कस किया है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि जो अफसर्स दोषी हों उन्हें सजा दें लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। श्री एस० के० दास, चीफ जस्टिस ने भी यह स्वीकार किया है कि जो गोली च ी वह जायज थी और उनको गोली चलाने का हक था। यह जस्टीफायड था लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि एक्सेसिभ हुआ है, गोलियां ज्यादे चली हैं जितना नहीं चलनी चाहिये थी, जरूरत से अधिक चलायी गई है, अनकंट्रोल्ड चलायी गई है, मिसगाइडेड चलायी गयी। इसमें उन्होंने सिफारिश की है कि पुलिस कोड में सुधार होना चाहिये और इसी कोड के चलने ये सारी बातें हुई हैं। उनकी सिफारिश के बावजूद भी इस पर ऐक्शन लेने में इतने दिन बीत गये और आपने कुछ नहीं किया है। आपको इतना दिन नहीं ेना चाहिये था।

मैं यह भी मानता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो संदेह से पड़े हैं तब उन पर क्यों नहीं फैसला किया जाता है? आई०-जी० का रूख इस मामले में क्या है जो फाइल पेश होनी चाहिये थी वह पेश न होकर दूसरी फाइल ही पेश की, गयी और इसी तरह से दूसरे काम जैसा होना चाहिये वैसा नहीं हुआ और न किया गया। वाइस-चांसलर ने क्या लिखा और क्या सलाह दी और अगर उसके मुताबिक कदम उठाया गया होता तो यह सब वाकया ही नहीं होता। जब विद्यार्थी पकड़ कर डिपो में रखे गये और सरकारी अफसरों को जब इसकी जानकारी हुई तो तुरन्त कदम उनको छोड़ने के लिये नहीं लिया गया और गोल मटोल काम होता रहा। अगर उनको छोड़ने के लिये तुरत कार्रवाई होती तो हमारे जानते यह वाकया ही नहीं होता।

दूसरी तरफ जुडिशियल इन्क्वायरी हुई और हम उसके फाईंडिंग के कायल हैं। हमारे जानते डिमोक्रेसी के ठीक तरह से फंक्शन करने के लिये जुडिशियरी की इज्जत होनी चाहिये, कानून की अपनी इज्जत है और उसकी वह इज्जत होनी चाहिये और ऐसा होने से ही ठीक तरह से काम चलेगा। दास कमीशन ने प्रिमिसेज लिखा है और उससे कन्क्लुजन निकाला है और हम उस कन्क्लुजन के कायल भी हैं। लेकिन एक कन्क्लुजन जो निकालना चाहिये वह नहीं निकाला है और उसका यहां पर अब निकालना तो इररिलिभेन्ट हो जायेगा। लेकिन आदमी को इसकी तरफ सोचने की कोशिश करनी चाहिये कि गोली चली और गोली दक्षिण दिशा के फुटपाथ से चली और ४० गोली के निशान बी० एन० कालेज के दिवाल पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि पंजाब नेशनल बैंक पर धावा बोला गया तो वहां पर गोली चलनी चाहिये थी और लाश लोगों की वहां पर गिरनी चाहिये। लेकिन ऐसा न होकर गोली चली बी० एन० कालेज की ओर, विद्यार्थियों की ओर और उसके दिवाल और ईंट की ओर। लोगों की लाश पंजाब नेशनल बैंक के नजदीक गिरनी चाहिये लेकिन गिरी बी० एन० कालेज के हाते में और गोली के निशान बने उसके दिवालों में। अगर इसी तरह से परम्परा चलती रही तो क्या हम कह सकते हैं कि इस तरह के कारनामें में किसी सभ्य राज के होंगे या जंगल राज के होंगे? जो लोग कंस्टीच्युशन के अनुसार शासन चला रहे हैं और जनता से पैसा लेकर जनता की भलाई करने का हामी भरते है उनको इससे सबक सीखना चाहिये कि आप अपने पुलिस कर्मचारी को पब्लिक मनी से बन्दूक, वर्दी और तनख्वाह देते हैं और एक डिसीप्लिन में वह काम करता है तो फिर गोली चलाने के वक्त इस तरह से काम क्यों करता है कि उसका गोली चलाना ही अनजस्टिफाइड हो गया और गलत तरीके से गलत जगह पर गोली चलायी। आपको इस पर ठंढे दिल से सोचना चाहिये और आने वाली औलाद के लिये सबक छोड़ना चाहिये क्योंकि आपके बाल तो सफेद हो चले हैं और आने वाली औलाद ही इस शासन को संभालेगी और चलायेगी। उनलोगों के मन पर इस तरह के वाकया से क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको आपको सोचना चाहिये। इसलिये अन्याय नहीं होना चाहिये और अगर कहीं पर ऐसा हो तो उसको दूर करने के लिये कोशिश होनी चाहिये। ऐसी हालत में आने वाली औलाद के लिये कौन-सा नमूना कंस्टिच्युशन का और कौन-सा नमूना सोशियोलौजी का आप छोड़ रहे हैं? आप रिएक्शन और कोहेजन पैदा कर रहे हैं जिसके चलते धीरे-धीरे कर हुकूमत की बागडोर खिसक जायेगी और हुकूमत धस जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामानन्द तिवारी का जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष—श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश के खिलाफ कुछ आक्षेप किए गए हैं जिनका वे जवाब देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि संक्षेप में ही वे उसको साफ कर देंगे।

*श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामानन्द तिवारी का भाषण

बहुत ही ठंढे दिल से सुन रहा था और जो बातें उन्होंने सरकार के बारे में कहीं उनका जवाब तो माननीय मंत्री देंगे लेकिन जो बातें मेरे संबंध में कही गई उनका जवाब और सफाई मैं दे देना चाहता हूं। गया जिले के राजनैतिक पीड़ितों की मदद के बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें मेरे बारे में कही गई हैं। हमारे तिवारीजी तो १९४२ के जमाने में आन्दोलन में आये लेकिन उसके पहले वे इस अंग्रेजी सरकार की नौकरी में थे।

अध्यक्ष—आपकी तरफ से कोई दूसरा आक्षेप नहीं होना चाहिये बल्कि लगाये गये आक्षेप का स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश—उनको जानना चाहिये कि १९४२ के पहले ही हमारे डा० मंजूर साहव ३।। वर्ष की जेल की सजा भुगत आये हैं जो हमारे साथ जेल में थे और हमलोग प्रो० वारी के नेतृत्व में काम करते थे । यह बात शायद हमारे तिवारी जी को मालूम नहीं होगी कि राजनैतिक पीड़ित कोष से किसी प्रकार की सहायता के लिये मैंने कभी कोई दरखास्त नहीं दी है और न स्पेशल अफसर के सामने इसके लिये मैं कभी हाजिर हुआ । उनको जानना चाहिये कि १९३० में मेरा प्रेस जप्त हुआ था और इसके बाद १९३२ में फिर जप्त हुआ । १९४२ में मेरा प्रेस और राजेन्द्र आश्रम जप्त हुआ था और उनको बरबाद किया गया था । कांग्रेस मिनिस्ट्री के आने के पहले ही १९४५ में अंग्रेजी राज के जमाने में ही जब गया का कलक्टर अंग्रेज था तो मेरे प्रेस को जप्त करने और आश्रम को बरबाद करने के लिये हमने सरकार को डैमेज के लिये नोटिस दी थी और उसी समय वहां के कलक्टर को सरकार से हुक्म हुआ कि उनकी जितनी बरबादी हुई है उसका मुआवजा दो । मैंने नोटिस दी थी कि अगर मुझे मुआवजा न मिलेगा तो मैं इसके लिये अदालत में नालीश करूंगा । १९३० से १९४२ तक प्रेस को जो हर्जाना हुआ था, घर का किराया और नौकरों की तनख्वाह आदि का ख्याल करके हर्जाना पूछा गया और इस मिनिस्ट्री के आने के पहले ही मुआवजा मुझे मिल गया था । इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस मिनिस्ट्री ने मेरे साथ कोई रियायत नहीं की है और न कोई मिहरबानी ही दिखलायी है । मुझे अफसोस है कि इसकी खबर श्री रामानन्द तिवारी को नहीं है क्योंकि उनका इस तरफ तो आगमन १९४२ में हुआ और इसके पहले वे अंग्रेजी सरकार की नौकरी में थे ।

अध्यक्ष—इससे आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है । अब आप बैठ जाइये ।

श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश—इसलिये मेरे बारे में जो आक्षेप उन्होंने लगाया है वह बिलकुल गलत है और मेरे साथ कोई रियायत कभी न की गयी है और न किसी तरह की रियायत की मैं आशा ही करता हूं ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी बातें कही गयी हैं जिनका उत्तर देना बहुत जरूरी है और उत्तर देने में शायद कुछ वक्त भी लग जायगा गर्चे आप जानते हैं कि मैं बातों को कभी दुहराता नहीं हूं । इसीलिए इस वक्त उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हो गया हूं ताकि मैं अपनी बातों को हाउस के सामने रख सकूं........

श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी छोटानागपुर के बारे में इस विषय पर बोलना है । इसलिए मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय ।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, नहीं आप बैठ जाइये । सरकारी जवाब हो रहा है इसलिए अब बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि हाउस आर्डर मेनटेन कर सकेगा और मुझे अपनी बातों को कहने का मौका देगा।

मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना समय ओपोजीशन को मिला है उससे कम समय सरकार को भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सरकार को सभी बातों का जवाब देना है और साथ-साथ अगर हमें डिसटर्ब नहीं किया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि उतने ही समय में हम सारी बातों का जवाब दे देंगे। हमारे दोस्त श्री बसावन सिंह ने कहा है कि जो फायरिंग हुई है वह एक्सेसिव हुई है। मगर उनकी बहुत-सी बातें रेलिवेन्ट नहीं हैं। ठीक है, ज्यादती हुई है मगर जिन आफिसरों को कमीशन ने दोषी साबित किया है उनसे कैफियत तलब किया गया है और कमीशन के औवजरवेशन की चार्ट बनाकर उनलोगों को दे दिया गया है। जहां तक मिश्रा का फायरिंग का सवाल है वह जस्टिफाइड है, लेकिन उनका डाइरेक्शन कालेज की तरफ था, इसलिये उनसे भी कैफियत तलब किया गया है। जितने आफिसर्स इनवौल्वड हैं उन सभी से कैफियत मांगी गयी है। जिन लोगों से कैफियत मांगी गयी है उनके नाम ये हैं :—

(१) श्री सलाउद्दीन, (२) श्री कटुरिया, (३) श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह, (४) श्री आर० एन० सिंह, (५) श्री जगतानन्द, सीटी एस० पी०, (६) श्री पी० के० जैन, (७) श्री चन्द्रशेखर, ए० एस० पी०, (८) एन० एम० मिश्र, (९) श्री महादेव शरण, (१०) श्री कपिलदेव सिंह, (११) श्री राम प्रताप सिंह, एस० आई० पुलिस जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको रियायत की गयी है। उनसे भी कैफियत तलब किया गया है, (१२) श्री एस० एन चटर्जी, एस० आई० पुलिस, (१३) श्री राजनारायण सिंह कौन्सटेबुल, (१४) श्री सिद्धनाथ सिंह, (१५) श्री ओंकारनाथ, सब-डिप्टी मजिस्ट्रेट।

Shri TRIVENI KUMAR : Why not the Inspector-General ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आप इम्पेसेन्ट न हों, मैं उनके बारे में भी कहूँगा।

श्री रामानन्द तिवारी ने कहा है कि आपने कैफियत पूछने में देरी कर दी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दास साहब ने १७ फरवरी को रिपोर्ट पर दस्तखत की और भेज दी, उसके बाद २२ मार्च १९५६ को रिपोर्ट प्रेस में छापने के लिए भेज दी गयी। जिस समय रिपोर्ट छापने के लिये भेजी गयी उस समय असेम्बली चल रही थी। हमने इस पर काफी ध्यान दिया है कि रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं छप जाय। उसके बाद से कैफियत इत्यादि पूछने की कारंवाई की गयी है। तो मेरा कहना है कि जो दास साहब का औवजरवेशन हुआ है उसकी एक एक प्रिन्टेड कापी सभी सम्बन्धित आफिसरों के पास भेज दी गयी है और उनसे कैफियत मांगी गयी है। जितने आफिसर्स हैं उनसे १२ अप्रैल को कैफियत के लिये कागज भेजा गया है और राज्य ट्रान्सपोर्ट के जितने सम्बन्धित आफिसर या कर्मचारी हैं उनसे १६ अप्रैल को कैफियत देने के लिए कागज भेजा गया है। इन लोगों से कहा गया है कि १ मई १९५६ तक कैफियत दें। इसलिए यह कहना कि कैफियत पूछने में देरी हुई है, यह बात सही नहीं है। हमारे दोस्त ने आई० जी०, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में कहा है। इसके लिये मैं दास कमीशन के रिपोर्ट का कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूँ। वह यह है :—

"I find that the District Magistrate and the Inspector-General of Police tried to get the co-operation of the University authorities as far as practicable; unfortunately, however, the students indulged in acts of indiscipline and lawlessness in disregard of the advice of

their Principal, acts to which I have already made a reference, and events moved so quickly that no effective co-operation could be established. If the District Magistrate were inspired by a spirit of revenge, he would not have interviewed the Principal of the B. N. College on the 11th of August, 1955..........

As I have said above, events moved too quickly for both of them; and the students and the police were caught in the vertex before any effective co-operation could be established between the authorities in-charge of law and order and the authorities in-charge of University. There may have been errors of judgment in some matters; but by far and large, the Inspector-General of Police, the District Magistrate, the Deputy Inspector-General, Central Range, and Mr. Akhaury, the State Transport Commissioner, tried to prevent the gathering momentum of the disturbances...."

हमने आई० जी० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी दास कमीशन के रिपोर्ट की एक एक कापी भेज दी है और उन लोगों से कहा गया है कि इसपर वे अपना-अपना कमेन्ट दें। इसलिए कहना कि आई० जी० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ नहीं मांगा गया है, गलत है। अध्यक्ष महोदय, तो विरोधी दल वालों ने जो उम्मीद की थी वह उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई है। आपने उम्मीद की थी कि कुछ नहीं तो इन्हीं आफिसरों पर कुछ पड़ जाय। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे औफिसर्स भी इण्डियन सिटिजेन्स हैं, उनके भी राइट्स हैं, प्रिविलेजेज हैं और अगर हम उसे नहीं देखेंगे तो यह शियर इन्जेस्टिस होगा। मैं चाहता हूँ कि उनके प्रति कठोर जस्टिस करूँ लेकिन हमें विन्डिक्टिव नहीं होना है।

Shri **MAHAMAYA PRASAD SINHA** : Sir, I rise on a point of order. The extracts which the Hon'ble Minister has just read out from the Commission's report touches only the fringe of the report. I can throw more light than...........

Shri **KRISHNA BALLABH SAHAY** : I have to finish my speech in a very short time. I do mot want to repeat and suffer from repetition.

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इनको ५ बजे तक बोलने के लिए समय दिया जाय।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त पानी पी-पीकर हमें कोसते हैं। लेकिन मैं पानी पीकर सच्ची बात बोलता हूँ।

मैं यह कहता हूँ कि गवर्नमेंट पर कोई अटैक नहीं हुआ, इसलिए मेरे दोस्त ऐसा फील करते हैं लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि दास साहब ने अपनी रिपोर्ट में पेज २६ और २९ में जिक्र किया है जिसका जिक्र मैं भी कर देना चाहता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि सच को झूठ कहूँ और झूठ को सच कहूँ। जो बात सच्ची है उसे ही मैं पढ़ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि—

"The Commission has observed at pages 26 to 29 of the printed report that the first and the foremost circumstance (leading to the

disturbances) was the uncertainty and consequent insatisfactory position regarding the concession to the students of the Patna University to travel on buses of the Rajya Transport. The Commission has also held that until the 11th August 1955, no final decision had been arrived at by the Transport Ministry with regard to the prayer made by the Vice-Chancellor of the Patna University in his letter, dated the 14th March 1955, for liberalising the concession which had been offered to the students in 1953."

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि फैक्ट यह है कि १९५३ के जून में हमने प्रेस नोट इशु किया और कहा कि १६ दिनों के किराये देने पर एक महीने तक स्टुडेंट्स बस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वाद वाइस-चांसलर और प्रिंसिपल को खबर दिया कि इस कनसेशन को लड़के इस्तेमाल कर सकते हैं। ३ लड़कों ने वास्तव में दरखास्त भी दी कि यह कनसेशन उनको मिलनी चाहिये। हमलोगों ने उनके दरखास्त को प्रिंसिपल के पास भेज दिया कि वे सिफारिश के साथ भेजें कि ये उनके स्टुडेंट्स हैं या नहीं, क्योंकि जब तक यह नहीं मालूम होता है कि वे स्टुडेंट्स हैं तब तक कैसे उन्हें कनसेशन दिया जा सकता है। वाइस-चान्सलर को १४ मार्च १९५५ को लिखा गया कि गवर्नमेंट का फैसला है कि जो विद्यार्थी १६ दिन का किराया देंगे वे एक महीने तक बस का इस्तमाल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को यह हक है कि और भी लिबरलाइज करने को कहे, उसी तरह ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को भी कुछ कहने का अधिकार है। इसी को लेकर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि इस पर मैं विचार करूँगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का फैसला था वह कंक्रीट था, इसलिए यह कहना कि अनसरटेन्टी इस मामले में रही, यह गलत है।

Shri MUNDRIKA SINGH: Sir, I rise on a point of order. Please refer to page 29. It is given here :—

"This uncertainty and the consequent insatisfactory position furnished the pre-disposing factors for the trouble that took place on the 11th of August, 1955."

SPEAKER: Yes, there is the word uncertainty.

Shri RAMCHARITRA SINHA: You can give your own interpretation to the report. This is no point of order.

Shri MUNDRIKA SINGH: The Hon'ble Minister is contradicting the report.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: I am not finding fault with the Report. The thing is this. Government have also right to have its say in the matter. Therefore, your interpretation is that whatever has been......

SPEAKER: Then the Minister claims that the proceedings may be challenged by the Government.

Shri RAMCHARITRA SINHA: Certainly so. The report will be discussed in the Cabinet and every line of the report will be examined and Government may accept some portion and may not accept some portion.

Shri MUNDRIKA SINGH : Was the Leader of the House sleeping when the ruling was given that the Commission Report cannot be contradicted and criticised ?

Shri RAMCHARITRA SINHA : That is for the House to say but Government have right.

Shri MUNDRIKA SINGH : Now he says that............

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : I am absolutely certain that, on this point this attitude was pressed by Mr. Das himself and I submit that I accept this viewpoint. I have no doubt about that. Mr. Das submitted the report to Government....

SPEAKER : The Hon'ble Minister may kindly take his seat.

After hearing the two Ministers on this point I feel that if the Government claim that they have a right to differ from the findings and observations of Das Commission, then every member in this House is free to discuss the findings and observations when occasion arises. It will not have a finality and the sanctity.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : These observations are coming from the highest tribunal. This will have the best consideration and respect. Government of the land has not ceased to function. They have also authority to ask explanation from some officers, say about Jain's finding. Government may decide that he should not be punished in the manner it is proposed to be done in the Commission report.

Shri MUNDRIKA SINGH : He may have right to criticise but he has not got the right to go against the ruling of the Chair. You have given ruling. Sir, the Commission report will not be criticised.

SPEAKER : It is true that I fixed this limitation on this debate but now from the statement of the Minister I find that Government has changed the position. Therefore, I revise my view.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : Sir, if I may be permitted to explain the position I hope you will be convinced.

Shri JAMUNA PRASAD SINGH : Sir, I rise on a point of order.

When the Government in the reply is allowed to have the opportunity to criticise the finding of Das Commission or to make submission against the findings of Das Commission, the Opposition should also be allowed to say against the finding. If Government has taken this position we should also be allowed to take the same position.

SPEAKER : Let me hear the Hon'ble Minister.

Shri RAM NARAIN CHOUDHRY : This is another ground for censuring the Government.

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। दास साहब का औवजर्वेशन किसी कोर्ट की फाइंडिंग नहीं है। उनके फाइंडिंग के प्रति मुझे काफी रेसपेक्ट है। संविधान के ३११ सेक्शन में लिखा हुआ है—

"No such person shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him."

अध्यक्ष—इसके कहने का ओकेजन क्या है? उनलोगों का स्टैण्डप्वायन्ट यह नहीं थी।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जरूरत है। संविधान को ओभरराइड करने का अख्तियार न हमको है और न हमारे दोस्तों को। यदि हम किसी को सजा देते हैं तो उसका चैलेंज हो सकता है, इसलिए संविधान को देख कर काम करना होगा।

अध्यक्ष—वह प्वायन्ट नहीं है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—है। आप एक मिनट के लिए सुनिए। संविधान रक्षा करता है तो हमको उसका ख्याल रखना पड़ेगा।

श्री मुन्द्रिका सिंह—आप दास कमीशन की रिपोर्ट को कान्ट्राडिक्ट करते हैं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं किसी को कान्ट्राडिक्ट नहीं करता हूँ। मैं जो कहता हूँ वह डिबेट में हेल्पफुल होगा।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—मेरा एक प्वायन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष—आप कहें।

Shri JAMUNA PRASAD SINGH : Sir, there are two things in the finding. One is against the Government and the other is against the servants of the Government. So far as the servant is concerned, the Government can ask for explanation. But when the Government is guilty who is to ask the explanation and where is it to be submitted ? Let him not confuse the issue.

SPEAKER : I do not want any advice neither the Minister wants any advice. I want to know the point of order.

Shri JAMUNA PRASAD SINGH : My point of order is that Government cannot say that it will be challenged in a court.

SPEAKER : I do not agree with your point of order. The Commission is an advisory body for the guidance of the Government.

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। उसके बाद अविश्वास के प्रस्ताव के दूसरे हिस्से पर आऊँगा। कहा गया है कि आप अफसरों को सस्पेण्ड क्यों नहीं करते हैं।

श्री बसावन सिंह—क्या सरकारी दल को यह अधिकार है कि फाइण्डिग को वह क्रिटिसाइज करे, आपने यह रूलिंग दे दिया है ?

SPEAKER : I always give ruling on the basis of facts. The fact that Government are not bound by the findings of the Commission was not before me at that time.

Shri BASAWAN SINGH : Sir, please extend the period of the discussion.

SPEAKER : A limitation was prescribed in the very beginning of the debate and the limitation was that the findings would not be criticised in this House and it is correct that I gave that ruling in order to control the debate. But now it is being urged on behalf of the Opposition that they were handicapped by the ruling. The point now stressed by Government that the findings of the Commission are not binding in the rule was not before me when I gave that ruling. I hope, the hon'ble members will maintain silence when I am now giving a decision on this point.

I rise in my seat to give my ruling.

(Speaker rose in his Chair.)

This point of order is clear. This motion of no confidence assumes that there was failure on the part of the Government to take suitable action against the Departments and officers named and held responsible by the Commission of Enquiry for the disturbances and firings in Patna in the month of August, 1955. It does not postulate that the findings and observations were incorrect. The stand taken by the mover is this that the Government has failed to implement the decisions of the Commission. Obviously, therefore, the mover never intended to criticise or to contradict the observation and the findings of the Commission. The intention of the mover was that the Government has failed to implement the findings. There is, therefore, no question of any disadvantage to the mover of the motion.

*[श्री बसावन सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग पर मैं कहना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि यह पक्षपात स्पीकर की तरफ से हुआ है। डीबेट के बिगनिंग में जो आपने विजडम के मुताबिक जो लिमिटेशन लगाया उसके बाद गवर्नमेंट के कहने पर, गवर्नमेंट के इशारा पर उसे सरेण्डर कर दिया। यह अनजस्टिफाइड है।]

*बिहार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४६ के मुताबिक इस अंश को कार्यवाही से हटा दिया गया।

SPEAKER : Opinions may differ but the opinion of the Speaker has to be respected and what the hon'ble Member has said is certainly a reflection on the Chair.

Shri MUNDRIKA SINGH : But if you are going to change your decisions off and on certainly our difficulty can well be imagined.

Shri MURALI MANOHAR PRASAD : Sir, I rise on a point of order. The leader of the Socialist Party has made a remark which is certainly a reflection on the Speaker. It is against the dignity of the House and so he must withdraw his remark.

SPEAKER : This point may be raised after the conclusion of this debate.

Shri BASAWAN SINGH : If the Speaker accedes the right to the Government to criticise the Commission's report, certainly the Opposition should also get the same right.

SPEAKER : I can give you this freedom to criticise, now that the Government has taken up that position.

Shri BASAWAN SINGH : But you have taken away this freedom from us and you are allowing this freedom to the Government, and if you are not prepared to change your decision on the point we would prefer to walk out.

SPEAKER : I am ready to accommodate you, but still if you want to withdraw that is a different matter altogether.

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, Sir, I must point out that if this attitude is taken either by this side of the House or that side, it is disrespect to the House and the Chair must take strict view of this.

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि अगर मैं निवेदन करूँ

तो मेरे दोस्त श्री बसावन सिंह अपनी राय को बदलने के लिए तैयार हो जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप सेन्सर मोशन लाए हुए हैं जिसका मतलब है इस मिनिस्ट्री को निकाल दिया जाय और श्री रामानन्द तिवारी ने कहा भी है कि इस मिनिस्ट्री को एक मिनट के लिए भी रहना अभिशाप है, तो यह हमलोगों से कैफियत मांगी गयी है। इस मोशन का दूसरा हिस्सा है, अफसरों के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में और जब आप डिपार्टमेंट को कण्डेम करते हैं तो हमको कण्डेम करते हैं। मैं ऐसा करने से आपको रोकता नहीं लेकिन हमारी जो कैफियत है उसको तो आपको सुनना चाहिए। कैफियत भी नहीं सुनते हैं और हमको कैफियत सुनाने का मौका नहीं देते हैं यह अन्याय है। हमलोगों से कैफियत मांगी गयी थी और हमारी कैफियत हाउस के सामने है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पांच बजे तक सभा की कार्रवाई चले।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Government does not want to take time. The Opposition has been given sufficient time. Let the debate be finished.

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। मैं आपका ध्यान बिहार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली की धारा १०४ की उप-धारा (४) की ओर आकृष्ट करता हूँ—

The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or as the case may be, the last of the allotted days forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

यह नियम है और इस नियम के मुताबिक मुझे यह प्रश्न सभा के सामने रखना है और जब तक सभा की उस पर दूसरी राय न हो......

श्री भुनाथ सिंह—मैंने तो प्रस्ताव किया कि पांच बजे तक सभा चलायी जाय और हमलोग गवर्नमेंट का जवाब सुनें।

अध्यक्ष—जब तक सभा के सामने कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं हो तथा सभा इसको बदलने को राजी न हो तब तक मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता।

श्री एस० के० बागे—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विवाद को क दिन और बढ़ाया जाय।

(अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर खड़े हो गये।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

इस अविश्वास के प्रस्ताव पर वादविवाद एक दिन के लिए और बढ़ाया जाय।

तब सभा इस प्रकार विभक्त हुई :

नां

श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री
श्री जगत नारायण लाल
*माननीय श्री बदरी नाथ वर्मा
श्री मुंगेरी लाल
श्री धनराज शर्मा
श्री लाल सिंह त्यागी
श्री ताजुद्दीन
श्री सैयद मुहम्मद अकील
श्रीमती सुन्दरी देवी
श्रीमती मनोरमा देवी
श्री मंजूर अहमद
श्री चेतू राम
श्री रामकिशन सिंह
श्री राधाकृष्ण प्रसाद सिंह
श्री महावीर चौधरी
श्री जगलाल महतो
श्री देधारी चमार
श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश
श्री अम्बिका सिंह
श्री रंगबहादुर प्रसाद
श्री देवनारायण सिंह
श्री गुप्तनाथ सिंह
श्री राम नगीना सिंह
श्री दुलारचन्द राम
श्री जगन्नाथ सिंह
श्री रामचन्द्र राय
श्री राजा राम आर्य
श्री हरिहर प्रसाद सिंह
श्रीमती सुमित्रा देवी
श्री रामानन्द उपाध्याय
श्री अब्दुल गफूर मियां
श्री शिव वचन त्रिवेदी
श्री चन्द्रिका राम
श्री शंकर नाथ
श्री राम बसावन राम

श्री रामानन्द यादव
श्री लक्ष्मी नारायण सिंह
श्री बैजनाथ सिंह
श्री मुरली मनोहर प्रसाद
श्री प्रभुनाथ सिंह
श्री दारोगा प्रसाद राय
श्री रामविनोद सिंह
श्री जगदीश शर्मा
श्री केदार पांडेय
श्री फैजुल रहमान
श्री हरिवंश सहाय
श्री गदाधर सिंह
श्री शिवधारी पांडेय
श्रीमती रामदुलारी
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही
श्री सरयुग प्रसाद
श्री हरिवंश नारायण सिंह
*माननीय श्री महेश प्रसाद सिंह
*माननीय श्री दीपनारायण सिंह
श्री सहदेव महतो
श्री महावीर रौथ
श्री बालेश्वर राम
श्री शेख मु० ताहीर
श्री सुबोध नारायण यादव
श्रीमती कृष्णा देवी
श्री नरेन्द्र नाथ दास
श्रीमती जनक किशोरी देवी
श्री कुमार महावल
श्री सकूर अहमद
श्री देवनारायण यादव
*माननीय श्री हरिनाथ मिश्र
श्री योगेश्वर घोष
श्री निरापद मुखर्जी
श्री गुरु चमार
*माननीय श्री रामचरित्र सिंह
श्री खुबलाल महतो
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल
श्री योगेश्वर हाजरा
श्री रास बिहारी लाल
श्री शीतल प्रसाद भगत
श्री लक्ष्मीनारायण "सुधांशु"
*माननीय श्री भोला पासवान
*श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर
श्रीमती पार्वती देवी
श्री जगदीश नारायण मंडल
श्रीमती ज्योतिर्मयी देवी
श्री मुहम्मद बुर्हानुद्दीन खां
श्री जानकी प्रसाद सिंह
*माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय
श्री तपेश्वर देव
श्रीमती मनोरमा सिंह
श्री राम खेलावन सिंह
श्री महावीर प्रसाद
श्री जगदीश नारायण सिंह
श्री गिरिवरधारी सिंह
श्री केशव प्रसाद
श्री रामेश्वर मांझी
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह
श्री सैयद मुहम्मद लतीफ़ुर रहमान
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह
श्री गोविन्द चमार
श्री लल्लन सिंह
श्री हेमराज यादव
श्री रघुनाथ प्रसाद शाहा
श्री शिव कुमार पाठक
श्री कमला राय
श्री जनार्दन सिंह
श्री भगवती प्रसाद सिंह
श्री गदाधर प्रसाद
श्री रामायण शुक्ल
श्री गिरिश तिवारी
श्री कृष्ण कान्त सिंह
श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा
श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतन्त्र
श्री रघुनी बैठा
श्री सुदामा मिश्र
श्रीमती पार्वती देवी
श्री जयनारायण प्रसाद
श्री गणेश प्रसाद शाह
श्री राधा पांडेय
श्री राम सुन्दर तिवारी
मौलवी मशूद
श्री ब्रज बिहारी शर्मा
ठाकुर गिरिजा नन्दन सिंह
महंथ श्यामनन्दन दास
डा० मु० हबीबुर रहमान

श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही
श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी
श्री कपिलदेव नारायण सिंह
*श्री वीरचन्द पटेल
श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह
श्री हरिहर शरण दत्त
श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी
श्री मथुरा प्रसाद सिंह
श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह
श्री शिवनन्दन राम
श्री यदुनन्दन सहाय
श्री देवकीनन्दन झा
श्री सयीदुल हक
श्री हृदय नारायण चौधरी
श्री राधाकान्त चौधरी
श्री जयनारायण झा 'विनीत'
श्री गजेन्द्र नारायण सिंह
श्री जानकी नन्दन सिंह
श्री काशीनाथ मिश्र
श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह
श्री साह मुस्ताक साहब
श्री मीठन चौधरी
श्री द्वारका प्रसाद
श्री मिश्री मुशहर
श्री कामता प्रसाद गुप्त
श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव
श्री कुमार रघुनन्दन प्रसाद
श्री राम॰जनम महतो
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल
श्री पशुपति सिंह 'प्रवल'
श्री भोलानाथ दास
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह
श्री पीरू मांझी
श्री राम नारायण मंडल
श्री दूमर लाल बैठा
श्री मोहित लाल पंडित
श्री अनाथ कान्त बसु
श्री राउतमल अग्रवाल
श्री जिवत्स शर्मा हिमांशु
श्री बोकाई मंडल
श्री पुण्यानन्द झा
श्री कमल देव नारायण सिंह
श्री सुखदेव नारायण सिंह
श्री विनोदानन्द झा
श्री बुद्धिनाथ झा कैरव
श्री भुवनेश्वर पांडेय
श्री सदानन्द प्रसाद
श्री अवध विहारी दीक्षित
श्री पुनीत राय
श्री लक्ष्मण मांझी
श्री बी० दूबे
*श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी
श्री सोमा भगत
श्री भोला नाथ भगत
श्री राम रतन राम
श्री राज किशोर सिंह
श्री देवचन्द राम पासी
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास
श्री अमिय कुमार घोष
श्री भुवनेश्वर चौबे
श्री शरत मोची
श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद

हां

श्री शिव महादेव प्रसाद
श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
श्री गोदानी सिंह
श्री रामचरण सिंह
श्री शिव भजन सिंह
श्री रामचन्द्र यादव
श्री रामेश्वर यादव
श्री रामनरेश सिंह
श्री मुन्द्रिका सिंह
श्री पदारथ सिंह
श्री राम विलास सिंह
श्री वसावन सिंह
श्री रामानन्द तिवारी
श्री राधा मोहन राय
श्री महामाया प्रसाद सिंह
श्री यमुना प्रसाद सिंह
श्री राम अयोध्या प्रसाद
श्री रामसेवक शरण
श्री विवेकानन्द गिरि
श्री तिलधारी महतो

श्री रामचरित्र राय यादव
श्री फुदेनी प्रसाद
श्री नथुनी लाल महतो
श्री कर्पूरी ठाकुर
श्री वशिष्ठ नारायण सिंह
श्री धनपति पासवान
श्री रामनारायण चौधरी
श्री त्रिवेणी कुमार
श्री रमेश झा
श्री तनुक लाल यादव
श्री जेथा किस्कू
श्री रामचरण किस्कू
श्री बाबू लाल टुडू
श्री चुनका हेम्ब्रोम
श्री देवी सोरेन
श्री शत्रुघ्न बेसरा
श्री मदन बेसरा
श्री विलियम हेमब्रोम
श्री जितू किस्कू
श्री गोकुल मेहरा
श्री विगन राम
श्री नन्दकिशोर सिंह
श्री जगन्नाथ महतो, वकील, कुर्मी
श्री न्यारन मुंडा
श्री हरमन लकड़ा
श्री सुक्र ओरांव
श्री जुनूस सुरीन
श्री लुकस मुंडा
श्री एस० के० बागे
श्री आलफ्रेड ओरांव
श्री बलिया भगत
श्री इगनेस कुजूर
श्री शुभनाथ देवगम
श्री सुखदेव मांझी
श्री सुरेन्द्र नाथ बिरूआ
श्री कबीर मिहिर
श्री हरिपद सिंह
श्री कैलास प्रसाद
श्री घनीराम संथाल

पक्ष में ५६ ।

विपक्ष में १८३ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष—वादविवाद का निर्धारित समय समाप्त हो चुका है इसलिए मैं अभी प्रस्ताव रखता हूं। प्रश्न यह है कि:

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers for its failure—

(*i*) to bring in land reform measures for the equitable distribution of land in the State of Bihar,

(*ii*) to take suitable action against departments and officers named and held responsible by the Commission of Enquiry by Shri S. K. Das for the disturbances and firings in Patna in the month of August, 1955,

(*iii*) to take any concrete steps towards implementation of the resolution adopted by this House, to prevent transfer of any parts of Bihar to West Bengal (as is evident from the statement made by the Home Minister in the Parliament and as a direct consequence

of Dr. B. C. Roy's unilateral withdrawal of the point of proposal for merger or Union of West Bengal and Bihar) and

(iv) to prevent delay, bungling and favouritism in the distribution of grants to Political sufferers."

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई:—

हाँ

श्री शिव महादेव प्रसाद
श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
श्री गोदानी सिंह
श्री रामचरण सिंह
श्री शिवभजन सिंह
श्री रामचंद्र यादव
श्री रामेश्वर यादव
श्री रामनरेश सिंह
श्री मुंद्रिका सिंह
श्री पदारथ सिंह
श्री रामविलास सिंह
श्री बसावन सिंह
श्री रामानन्द तिवारी
श्री राधा मोहन राय
श्री महामाया प्रसाद सिंह
श्री जमुना प्रसाद सिंह
श्री रामअयोध्या प्रसाद
श्री रामसेवक शरण
श्री विवेकानन्द गिरि
श्री तिलधारी महतो
श्री रामचरित्र राय यादव
श्री फुदेनी प्रसाद
श्री नथुनी लाल महतो
श्री कर्पूरी ठाकुर
श्री वशीष्ठ नारायण सिंह
श्री धनपति पासवान
श्री रामनारायण चौधरी
श्री त्रिवेणी कुमार
श्री रमेश झा
श्री तनुक लाल यादव
श्री जेठा किस्कू
श्री रामचरण किस्कू
श्री बाबू लाल टुडू
श्री चुनका हेमब्रोम
श्री देवी सोरेन
श्री शत्रुघ्न बेसरा
श्री मदन बेसरा
श्री विलियम हेमब्रोम
श्री जीतू किस्कू
श्री गोकुल मेहरा
श्री विगन राम
श्री नन्दकिशोर सिंह
श्री जगन्नाथ महतो, वकील, कुर्मी
श्री न्यारन मुंडा
श्री हरमन लकड़ा
श्री सुक्र ओरांव
श्री जुनूस सुरीन
श्री लुकस मुंडा
श्री एस० के० बागे
श्री आलफ्रेड ओरांव
श्री देवचरण मांझी
श्री बलिआ भगत
श्री इगनेस कुजुर
श्री शुभनाथ देवगम
श्री सुखदेव मांझी
श्री सुरेन्द्रनाथ बिरुआ
श्री हरिपद सिंह
श्री कैलास प्रसाद
श्री घनीराम संथाल

नां

श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री
श्री जगत नारायण लाल
*माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा
श्री मुंगेरी लाल
श्री धनराज शर्मा
श्री लाल सिंह त्यागी
श्री ताजुद्दीन
श्री सैयद मुहम्मद अकील
श्रीमती सुन्दरी देवी
श्रीमती मनोरमा देवी

श्री चेतू राम
श्री रामकिशन सिंह
श्री राधाकृष्ण प्रसाद सिंह
श्री महावीर चौधरी
श्री जगलाल महतो
श्री देधारी चमार
श्री जोगेश्वर प्रसाद खलिश
श्री रामेश्वर मांझी
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह
श्री सैयद मुहम्मद लतीफुर् रहमान
श्री अंबिका सिंह
श्री रंगबहादुर प्रसाद
श्री गुप्तनाथ सिंह
श्री राम नगीना सिंह
श्री दुलारचंद राम
श्री जगन्नाथ सिंह
श्री रामचन्द्र राय
श्री राजाराम आर्य
श्री हरिहर प्रसाद सिंह
श्रीमती सुमित्रा देवी
श्री रामानन्द उपाध्याय
श्री अब्दुल गफूर मियां
श्री नन्द किशोर नारायण
श्री चंद्रिका राम
श्री शंकर नाथ
श्री रामानन्द यादव
श्री लक्ष्मी नारायण सिंह
श्री मुरली मनोहर प्रसाद
श्री दरोगा प्रसाद राय
श्री रामविनोद सिंह
श्री जगदीश शर्मा
श्री फैजुल रहमान
श्रीमती पार्वती देवी
श्री गदाधर सिंह
श्री शिवधारी पांडेय
श्रीमती रामदुलारी
ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह
श्री कुलदीप नारायण यादव
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही
श्री सरयुग प्रसाद
श्री हरिवंश नारायण सिंह
*माननीय श्री महेश प्रसाद सिंह
*माननीय श्री दीपनारायण सिंह
श्री सहदेव महतो
श्री महावीर रौथ
श्री वालेश्वर राम
श्री शेख मु० ताहीर
श्री सुबोध नारायण यादव
श्रीमती कृष्णा देवी
श्री नरेन्द्रनाथ दास
श्री जानकी नंदन सिंह
श्रीमती जनक किशोरी देवी
श्री कुमार महावल
श्री सकूर अहमद
श्री देवनारायण यादव
*माननीय श्री हरिनाथ मिश्र
श्री योगेश्वर घोष
*श्री निरापद मुखर्जी
श्री गुरु चमार
*माननीय श्री रामचरित्र सिंह
श्री कामता प्रसाद गुप्त
श्री खूब लाल महतो
श्री विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल
श्री राम जनम महतो
श्री रास बिहारी लाल
श्री शीतल प्रसाद भगत
*माननीय श्री भोला पासवान
श्री राउतमल अग्रवाल
श्री कमल देव नारायण सिंह
श्रीमती पार्वती देवी
श्रीमती ज्योतिर्मयी देवी
श्री मुहम्मद बुर्हानुद्दीन खां
श्री जानकी प्रसाद सिंह
श्री गोकुल मेहरा
श्री अवध बिहारी दिक्षित
श्री पुनीत राय
*माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय
श्री लक्ष्मण मांझी
श्री तपेश्वर देव
श्री भोलानाथ भगत
श्रीमती मनोरमा सिंह
श्री शिव चंद्रिका प्रसाद
श्री रामखेलावन सिंह
श्री महावीर प्रसाद
श्री जगदीश नारायण सिंह
श्री गिरिवरधारी सिंह

श्री मंजूर अहमद
श्री केशव प्रसाद
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह
श्री देवनारायण सिंह
श्री गोविन्द चमार
श्री लल्लन सिंह
श्री हेमराज मिश्र
श्री रघुनाथ प्रसाद शाह
श्री शिव कुमार पाठक
श्री कमला राय
श्री शिव वचन त्रिवेदी
श्री जनार्दन सिंह
श्री भगवती प्रसाद सिंह
श्री रामवसावन राम
श्री गदाधर प्रसाद
श्री रामायण शुक्ल
श्री गिरीश तिवारी
श्री कृष्ण कांत सिंह
श्री वैजनाथ सिंह
श्री सुखदेव नारायण सिंह महथा
श्री प्रभुनाथ सिंह
श्री केदार पांडेय
श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतंत्र
श्री रघुनी बैठा
श्री सुदामा मिश्र
श्री जयनारायण मिश्र
श्री हरिवंश सहाय
श्री गणेश प्रसाद साह
श्री राधा पांडेय
श्री रामसुन्दर तिवारी
मौलवी मसूद
श्री ब्रज विहारी शर्मा
महंथ श्यामनंदन दास
डा० मु० हबीबुर रहमान
श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही
श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी
श्री कपिलदेव नारायण सिंह
*श्री वीरचन्द पटेल
श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह
श्री हरिहर शरण
श्री चंद्रमणि लाल चौधरी
श्री मथुरा प्रसाद सिंह
श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह
श्री शिवनन्दन राम
श्री यदुनन्दन सहाय
श्री देवकी नन्दन झा
श्री सयीदुल हक
श्री हृदयनारायण चौधरी
श्री राधाकान्त चौधरी
श्री जयनारायण झा 'विनीत'
श्री गजेन्द्र नारायण सिंह
श्री काशीनाथ मिश्र
श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह
श्री शाह मुस्ताक साहब
श्री मीठन चौधरी
श्री द्वारका प्रसाद
श्री मिश्री मुशहर
श्री जोगेश्वर हाजरा
श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव
श्री कुमार रघुनन्दन प्रसाद
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल
श्री पशुपति सिंह 'प्रबल'
श्री भोलानाथ दास
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह
श्री पीरू मांझी
श्री रामनारायण मंडल
श्री डूमरलाल बैठा
श्री लक्ष्मी नारायण "सुधांशु"
श्री अनाथ कान्त बसु
श्री जिवत्स शर्मा हिमांशु
श्री बोकाई मंडल
श्री पुण्यानन्द झा
*श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर
श्री सुखदेव नारायण सिंह
श्री विनोदानन्द झा
श्री बुद्धिनाथ झा कैरव
श्री जगदीश नारायण मंडल
श्री भुवनेश्वर पांडेय
श्री सदानन्द प्रसाद
श्री बी० दूबे
*श्री अब्दुल कयूम अंसारी
श्री सोमा भगत
श्री राम रतन राम
श्री राज किशोर सिंह
श्री देवचंद राम पासी
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास

श्री अमिय कुमार घोष
श्री भुवनेश्वर चौबे
श्री जीतू राम
श्री बुद्धन मांझी
श्री शरत मोची

पक्ष में ५९
विपक्ष में १८७
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री बसावन सिंह—अध्यक्ष महोदय, कुछ मिनट पहले हमने पक्षपात वगैरह की बात चेयर के खिलाफ कही थी इसके लिए मुझे अफसोस है।

अध्यक्ष—मैं इसे प्रोसिडिंग्स से निकाल दूंगा।

Shri MURLI MANOHAR PRASAD : Sir, a reflection was made on Shri Manzoor so Shri Ramanand Tiwari should withdraw it.

अध्यक्ष—समय बहुत बढ़ गया है। माननीय सदस्यों के संबंध में जो कुछ भी हो वह तमादी नहीं होती है। आप इसको कल सभा के सामने रख सकते हैं।

श्री धनराज शर्मा—यह बात सही है कि वे जेल में थे और यह दोषारोपण निराधार है।

अध्यक्ष—आपकी बातों का जवाब कोई देना नहीं चाहते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि यह नहीं करूंगा। समय नहीं है इसलिए कल रखा जाय तो क्या गड़बड़ी है। तब तक आप भी ठंढे हो जायंगे और ये भी ठंढे हो जायंगे। यह अध्यक्ष की बात नहीं है। श्री मंजूर अहमद, श्री खलिशजी, और श्री शक्ति कुमार के बारे में आपलोग कोई राय पर आ जायंगे तो ठीक है।

सभा बुधवार, दिनांक १६ मई १९५६ के ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना :
तिथि १५ मई १९५६।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि०स०मु० (एल० ए०) १६५—मोनो—८७०+१-१४-१२-१९५६—शी० प्र० सिंह तथा अन्य